

इसे वेबसाइट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2020—माघ 25, शक 1941

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिणाम।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद में पुरस्त्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2020

क्र. ई-1-514-2019-5-एक.—श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2020

क्र. एफ-5-20-2018-एक (1).—उच्च न्यायालय,  
न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के

अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, माननीय न्यायाधिपति श्री बी. के. श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 30 नवम्बर 2019.	एक पूर्ण वेतन तथा भत्तों पश्चात् में दिनांक सहित 01 दिसम्बर 2019 अवकाश के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित।		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, अवर सचिव।

**गृह विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2020**

क्र. एफ 1-93-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे विशेष पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार), पु. मु., भोपाल को दिनांक 30 दिसम्बर से 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, छः दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में परिवार सहित कोलंबो, श्रीलंका की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, विशेष पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)273-1986-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री महान भारत सागर, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, यातायात/पीटीआरआई, पु.मु., भोपाल ने स्वयं के अस्वस्थता के कारण दिनांक 4 जून से 25 अगस्त 2019 तक, तिरासी दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योन्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से एक सौ छियासठ दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री महान भारत सागर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महान भारत सागर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)393-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा, डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (वित्तीय एवं सहकारिता अपराध) लोसेगा एवं सू. का. अधि. पु. मु., भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष 2019 में दिनांक 10 से 13 दिसम्बर 2019 तक, चार दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत अकेले गृह नगर भुवनेश्वर (उड़ीसा) जाने की कार्योन्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (वित्तीय एवं सहकारिता अपराध) लोसेगा एवं सू. का. अधि. पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2020

क्र. एफ-1(ए) 30-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जुलाई 2018 को निरस्त करते हुए, श्री रजत सकलेचा, परि. भापुसे, तत्का. सहायक पुलिस अधीक्षक/एसएचओ थाना, बिरला, उज्जैन वर्तमान में अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम 1955 के नियम 15 सहपठित नियम 21 के अन्तर्गत निहित शर्तों के अध्याधीन दिनांक 14 मई से 5 दिसम्बर 2018 तक, दो सौ छः दिवस का असाधारण अवकाश की स्वीकृति इस शर्त के साथ स्वीकृत की जाती है कि असाधारण अवकाश (EOL) के लिये कोई छुट्टी वेतन नहीं दिया जावेगा।

क्र. एफ 1(ए)93-1999-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे., पुलिस महानीरीक्षक, अ.अ.वि. (प्रशासन) पु.मु., भोपाल को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2020 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 11-12 जनवरी 2020 व दिनांक 18-19 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योन्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे., के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस महानीरीक्षक, अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानीरीक्षक,

अ.अ.वि. (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे., द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

### संशोधित आदेश

क्र. एफ 1(ए)176-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21 नवम्बर 2019 व 24 दिसम्बर 2019 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन बालाघाट को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2019 के अन्तर्गत अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत गृह नगर जिला-हैदराबाद (तेलंगाना) जाने हेतु दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं 21-22 दिसम्बर 2019 व दिनांक 5 जनवरी 2020 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव	—	स्वयं
2. श्रीमती के. मालती लता	—	पत्नी
3. श्री के. आदित्य प्रकाश	—	पुत्र
4. श्री के. अरूणाधीरेश्वर अमित	—	पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2020

क्र. एफ-1(ए) 40-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, तत्का. पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर, वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक, एस.ए.एफ. रेन्ज, भोपाल को विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2019 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त करता है।

क्र. एफ-1(ए) 63-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री इन्दु प्रकाश अरजरिया, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (अजाक) पु. मु., भोपाल का दिनांक 3 से 14 फरवरी 2020 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 2 फरवरी 2020 व दिनांक 15-16 फरवरी 2020 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री इन्दु प्रकाश अरजरिया, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विजय खात्री, भापुसे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक, (अजाक), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री इन्दु प्रकाश अरजरिया भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस उप महानिरीक्षक, (अजाक) पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री इन्दु प्रकाश अरजरिया, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री इन्दु प्रकाश अरजरिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्दु प्रकाश अरजरिया, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1ए-152-1990-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा, श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 12 फरवरी 2020 तक, तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 08-09 फरवरी 2020 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में अकेले गृह नगर कोलकाता (पश्चिम बंगाल) की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1 (ए) 169-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 नवम्बर 2019 को निरस्त करते हुए

उसके स्थान पर श्री योगेश चौधरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, योजना, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 6 से 16 दिसम्बर 2019 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) आदेश की शेष कंडिका यथावत् रहेगी।

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2020

क्र. एफ 1(ए)32-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अमित कुमार, भापुसे, नगर पुलिस अधीक्षक, गोविन्दपुरा, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 4 से 9 जनवरी 2020 तक, कुल छः दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में परिवार सहित गृह जिले के स्थान पर भारत भ्रमण अन्तर्गत उदयपुर (राजस्थान) की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- |                        |   |       |
|------------------------|---|-------|
| 1. अमित कुमार          | — | स्वयं |
| 2. डॉ. स्वर्णा सरस्वती | — | पत्नी |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन नगर पुलिस अधीक्षक, गोविन्दपुरा, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल श्री अमित कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2020

क्र. एफ-1(ए)185-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (रा.अ.अ.ब्यूरो), पु. मु., भोपाल को दिनांक 20 से 22 जनवरी 2020 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री योगेश चौधरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (रा.अ.अ.ब्यूरो), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अति. पुलिस महानिदेशक, (रा.अ.अ.ब्यूरो), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)193-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे-90, अति. पुलिस महानिदेशक अनुसंधान एवं विकास/पुलिस मैन्यु./सर्कता, पु. मु., भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2019-20 में दिनांक 24 फरवरी से 28 मार्च 2020 तक, कुल चौंतीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 23 फरवरी 2020 व 29 मार्च 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार सहित गृह नगर न्यू चण्डीगढ़ (पंजाब) की अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

- |                        |   |       |
|------------------------|---|-------|
| 1. श्री बी. बी. शर्मा  | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती कांता शर्मा | — | पत्नी |
| 3. श्री ईशान शर्मा     | — | पुत्र |

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, का चालू कार्य श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, शिकायत, पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अति. पुलिस महानिदेशक अनुसंधान एवं विकास/पुलिस मैन्यु./सर्कता, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा, भाषुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा, भाषुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

### संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2020

क्र. एफ-1(ए) 81-2011-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 6 जनवरी 2020 को संशोधित करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री पी. एस. उड़िके, भाषुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल को पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के साथ अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के सदस्यों के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. एफ 1-91-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री अमित तोलानी, परिवीक्षाधीन भाषुसे नगर पुलिस अधीक्षक, गढ़ा, जबलपुर को दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं 21-22 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित Seychelles (Africa) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा बहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोलानी, परिवीक्षाधीन भाषुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से नगर पुलिस अधीक्षक, गढ़ा, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अमित तोलानी, परिवीक्षाधीन भाषुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोलानी, परिवीक्षाधीन भाषुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव।

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2020

क्र. एफ 1(ए)256-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनिल कुमार, भाषुसे, महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 10 से 29 फरवरी 2020 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित प्रदान की जाती है।

(2) श्री अनिल कुमार, भाषुसे अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री पवन कुमार जैन, भाषुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (पूर्व), वि.पु.स्था., लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भाषुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अनिल कुमार, भाषुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भाषुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भाषुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशीष भार्गव, उपसचिव।

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2020

फा. क्र. 746-इक्कीस-ब-(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग के आदेश क्रमांक 871-इक्कीस-ब-(दो), दिनांक 31 जनवरी 2019 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इन्दौर/ग्वालियर में एक वर्ष के लिये नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं एवं उप शासकीय अधिवक्ताओं के कार्यकाल में एक माह अर्थात् 29 फरवरी 2020 तक की अभिवृद्धि करता है।

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2020

फा. क्र. 436-2020-इकीस-ब-(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SUO MOTO Writ Petition (Criminal) No. 1/2019 में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी 2019 एवं संचालक लोक अभियोजन के प्राप्त प्रस्ताव के अनुक्रम में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6769-इकीस-ब-(दो), दिनांक 31 दिसम्बर 2019 को अतिष्ठित करते हुए नीचे दर्शित तालिका के कॉलम (3) में दर्शित अनन्यतः विशेष न्यायालयों के सामने उक्त तालिका के कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अभियोजन अधिकारियों को लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अपराधों के जांच/विचारण हेतु अनन्यतः विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है:—

### तालिका

स. क्र.	स्थान	न्यायाधीश का नाम एवं पदस्थापना	अनन्यतः विशेष लोक अभियोजक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अलीराजपुर	श्री के. जी. सुरेखा, सत्र न्यायाधीश	श्री पीरसिंह अहोरिया, अति. डीपीओ
2	अनूपपुर	श्री भूपेन्द्र नकवाल, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री हेमंत अग्रवाल, एडीपीओ
3	अशोकनगर	श्रीमती प्रिया शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री रोशनलाल छापरिया, डीपीओ
4	बालाघाट	श्री रामजी लाल ताम्रकर, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री अखिल कुशराम, एडीपीओ
5	बैतूल	श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी अपर सत्र न्यायाधीश	श्री ओमप्रकाश सूर्यवंशी, एडीपीओ
6	भोपाल	1. श्रीमती वंदना जैन, अपर सत्र न्यायाधीश 2. श्रीमती कुमुदिनी पटेल, अपर सत्र न्यायाधीश	1. श्रीमती अनिता सिंह, डीपीओ 2. श्री त्रिभुवन प्रसाद गौतम, अति. डीपीओ
7	भिण्ड	कु. श्वेता गोयल, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री बनवारीलाल शर्मा, अति. डीपीओ
8	छतरपुर	श्रीमती नोरिन निगम, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री एस. के. चतुर्वेदी, डीपीओ
9	बिजावर (छतरपुर)	श्रीमती बरखा दिनकर, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री अजय कुमार मिश्रा, एडीपीओ
10	छिन्दवाड़ा	श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री दिनेश कुमार उर्के, एडीपीओ
11	अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा)	श्रीमती निशा विश्वकर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री लोकेश घोरामरे, एडीपीओ
12	दमोह	श्रीमती उषा तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री बी. एम. शर्मा, डीपीओ
13	दतिया	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री पुष्टेन्द्र गर्ग, डीपीओ
14	देवास	श्री विकास भटेले, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री राजेन्द्र खांडेकर, डीपीओ
15	धार	श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश	श्रीमती आरती अग्रवाल, अति. डीपीओ
16	गुना	श्रीमती शशिकांत वैश्य, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री आर. के. दुबे, डीपीओ
17	ग्वालियर	श्रीमती अर्चना सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री ए. के. मिश्रा, अति. डीपीओ
18	होशंगाबाद	श्री सुरेश कुमार चौबे, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री के. पी. अहिरवार, डीपीओ
19	इन्दौर	1. श्रीमती सविता सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश 2. श्रीमती नीलम शुक्ला, अपर सत्र न्यायाधीश	1. श्री संजय कुमार मीणा, अति. डीपीओ 2. श्रीमती सुशीला राठौर, एडीपीओ
20	जबलपुर	3. श्रीमती वर्षा शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश 1. श्रीमती इन्द्रा सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश 2. श्रीमती संगीता यादव, अपर सत्र न्यायाधीश	3. श्रीमती प्रीति अग्रवाल, एडीपीओ 1. श्रीमती स्मृतिलता बडकरे, अतिरिक्त डीपीओ 2. श्री अजय जैन, डीपीओ
21	कटनी	श्रीमती माधुरी राज लालजी, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री धर्मेन्द्र सिंह तारण, अति. डीपीओ
22	मण्डला	डॉ. प्रीति श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री अरूण मिश्रा, डीपीओ
23	मंदसौर	श्रीमती निशा गुप्ता, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री नीतेश कृष्णन, एडीपीओ
24	मुरैना	श्रीमती यतेश सिसोदिया, अपर सत्र न्यायाधीश	श्रीमती प्रतिभा उमरिया, अति. डीपीओ
25	नरसिंहपुर	श्रीमती अनिता सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री विनोद परोहा, डीपीओ

(1)	(2)	(3)	(4)
26	रायसेन	श्रीमती नीलम मिश्रा, अपर सत्र न्यायाधीश	श्रीमती भारती गेडाम, अति. डीपीओ
27	राजगढ़ (ब्यावरा)	श्रीमती अंजली पारे, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री आलोक श्रीवास्तव, डीपीओ
28	रतलाम	1. श्री साबिर अहमद, अपर सत्र न्यायाधीश 2. श्री तरुण सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश	श्रीमती सीमा शर्मा, एडीपीओ
29	रीवा	सुश्री महिमा कछवाहा, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री गौतम परमार, एडीपीओ
30	सागर	1. श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगरेशी, अपर सत्र न्यायाधीश 2. श्रीमती नीतू कांता वर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री राजीव रूसिया, डीपीओ
31.	सतना	1. श्रीमती क्षिप्रा पटेल, अपर सत्र न्यायाधीश 2. श्रीमती दिपीका मालवीय, अपर सत्र न्यायाधीश	श्रीमती प्रियंका जैन, एडीपीओ
32	सिवनी	श्रीमती सुमन उर्के, अपर सत्र न्यायाधीश	श्रीमती दीपा मर्स्कोले, डीपीओ
33	शहडोल	श्री अनुज कुमार मित्तल, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री विश्वजीत पटेल, डीपीओ
34	शाजापुर	श्रीमती रामा जयंत मित्तल, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री देवेन्द्र कुमार मीणा, डीपीओ
35	शिवपुरी	श्रीमती सिद्धि मिश्रा, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री संजीव गुप्ता, डीपीओ
36	सीधी	श्री योगिराज उपाध्याय, अपर सत्र न्यायाधीश	श्रीमती भारती शर्मा, डीपीओ
37	सिंगरौली	श्री जितेन्द्र कुमार पाराशर, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री आशुतोष गरवाल, अति. डीपीओ
38	टीकमगढ़	श्रीमती ज्योति राजपूत, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री आर. सी. चतुर्वेदी, डीपीओ
39	उज्जैन	1. श्रीतमी (डॉ.) आरती शुक्ला पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश. 2. श्री प्रेममाल सिंह ठाकुर, अपर सत्र न्यायाधीश	1. श्री सूरज बछेरिया, अति. डीपीओ 2. श्रीमती ईश्वर केलकर, अति. डीपीओ
40	विदिशा	कु. प्रतिष्ठा अवस्थी, अपर सत्र न्यायाधीश	श्रीमती प्रतिभा गौतम, एडीपीओ
41	बासौदा विदिशा	श्री राजेश कुमार अग्रवाल, (जे.आर.) अपर सत्र न्यायाधीश.	श्री दिनेश कुमार असैया, एडीपीओ
42	पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर.	श्रीमती आरती शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री प्रदीप सिंह अलावा, एडीपीओ
43	बडवाह पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर.	श्री हरिश भदौरिया, अपर सत्र न्यायाधीश	श्री चम्पालाल मुजाल्दा, एडीपीओ

उपरोक्त तालिका के कॉलम (4) में दर्शित अनन्यतः विशेष लोक अभियोजकों की अनुपस्थिति में चाहे ऐसी अनुपस्थिति किसी भी कारण हो, उनके स्थान पर कार्य करने हेतु संबंधित जिला दण्डाधिकारी इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 2277-इक्कीस-ब-(दो) 2019, दिनांक 1 मई 2019 द्वारा नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों या उनमें से किसी को अधिकृत कर सकेंगे।

फा. क्र. 778-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में श्री नरेन्द्र सिंह हुड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जो राज्य शासन द्वारा आगे निरन्तर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बतायं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुए, उन्हें

आगामी आदेश तक अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, नई दिल्ली से समबद्ध करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2020

पंजी क्र. 262-2019-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील-बेगमगंज, जिला-रायसेन में विभागीय आदेश दिनांक 21 सितम्बर 2011 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री राजेन्द्र मुखर्या, का दिनांक 3 सितम्बर 2019 को निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. पी. शुक्ल, अपर सचिव।

**विमानन विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2020

क्र. एफ-9-11-2016-पैंतालीस.—भारत सरकार की नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत रीजनल कनेक्टिविटी हेतु मध्यप्रदेश

शासन, भारत सरकार, नागरिक उद्देश्य मंत्रालय एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (क्रियान्वयन एजेन्सी) के मध्य निष्पादित करानामा (MOU) दिनांक 11 नवम्बर 2016 की कंडिका 4.2.2. अनुसार राज्य सरकार द्वारा आरसीएस हवाई अड्डों पर रियायती दर पर बिजली एवं पानी उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि आरसीएस हवाई अड्डों पर बिजली/पानी के वास्तविक व्यय पर प्रथम 2 आरसीएस उड़ान हेतु 20% एवं इसके उपरान्त प्रति आरसीएस उड़ान 5% अतिरिक्त अनुदान प्रदाय किया जावे। अनुदान की अधिकतम सीमा 50% नियत की जाती है।

2. उक्त अनुदान की प्रतिपूर्ति विमानन संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा सीधे विद्युत वितरण कम्पनी एवं पेयजल हेतु संबंधित निकाय को जा सकेगी।

3. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की यूओ टीप क्रमांक 43-716-ब-2-चार-2019, दिनांक 30 जनवरी 2020 द्वारा प्रदान किये गये परामर्श उपरान्त जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रकान्त कश्यप, अवर सचिव।

### नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश,  
ई-5, अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2020

### शुजालपुर विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 545-वि.यो. शुजालपुर-नग्नानि-2020.—एतद्वारा, सूचना दी जाती है कि शुजालपुर विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, उज्जैन, संभाग उज्जैन
2. कलेक्टर, शाजापुर, जिला शाजापुर
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, शुजालपुर, मध्यप्रदेश

## प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

## अध्याय-6

## शुजालपुर : उपयोग परिक्षेत्रों/उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

6-सा-8

अनु. क्र.	उपयोग/ गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम (प्रतिशत चौड़ाई (मीटर में)	भू-तल अधिकतम कवरेज (प्रतिशत में)	एफ.ए. आर. कवरेज एकल	ऊंचाई (मीटर में)	न्यूनतम एम.ओ.एस. (मीटर में) सामने पीछे साईड्स्	न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र	न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार फ्रण्टेज स्पेस (मीटर में)	अन्य नियंत्रण/ फ्रण्टेज स्पेस (मीटर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
59	भूखण्डीय विकास	2.00	6.00	30-60	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100 (1)फ्रण्टेज =	ले-आउट

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

## अध्याय-6

## शुजालपुर : उपयोग परिक्षेत्रों/उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

6-सा-8

अनु. क्र.	उपयोग/ गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम (प्रतिशत चौड़ाई (मीटर में)	भू-तल अधिकतम कवरेज (प्रतिशत में)	एफ.ए. आर. कवरेज एकल	ऊंचाई (मीटर में)	न्यूनतम एम.ओ.एस. (मीटर में) सामने पीछे साईड्स्	न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार स्पेस प्रति वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र	न्यूनतम वाहन पार्किंग: एक कार फ्रण्टेज स्पेस (मीटर में)	अन्य नियंत्रण/ फ्रण्टेज स्पेस (मीटर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
59	भूखण्डीय विकास	कोई नहीं	6.00	30-60	1:1.25	12.50	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	लेआउट अनुसार	A=100 (1) फ्रण्टेज =	ले-आउट

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में “मध्यप्रदेश राजपत्र” में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वतंत्र कुमार सिंह, संचालक।

**विभाग प्रमुखों के आदेश**  
**कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2020

क्र. 81-2-फा. दो-22-1-स्था.-2013.—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम-34 (2) के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2020 के कलैण्डर अनुसार उच्च न्यायालय के लिए अधिसूचित ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 26 मई से 6 जून 2020 तक की अवधि का ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश रहेगा।

तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,  
 उपेन्द्र कुमार सिंह, रजिस्ट्रार

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ), मध्यप्रदेश**

राजगढ़, दिनांक 25 जनवरी 2020

क्र. 1800-एस.सी.दो-2020.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रमांक-4 के नियम-8 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, निधि निवेदिता, कलेक्टर, राजगढ़, एतद्वारा वर्ष 2020 में राजगढ़ जिले के लिये पूरे दिवस का निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्र. (1)	दिनांक (2)	दिन (वार) (3)	त्यौहार का नाम (4)
1	11 मार्च 2020	बुधवार	उर्स बाबा बदखशानी
2	26 अक्टूबर 2020	सोमवार	दशहरा मिलन
3	13 नवम्बर 2020	शुक्रवार	रूप चौदस

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

निधि निवेदिता, संयुक्त कलेक्टर वास्ते कलेक्टर,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रा. प्र. क्रमांक 59-अ-82-2017-2018-भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 दिसम्बर 2019

मोप्र० शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्य नीति”(Consent Land Purchase Policy) के तहत सीताजिर जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्य किये जाने हेतु मोप्र० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्य किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप ‘क’ में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सीताजिर जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्य की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्य किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्य की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम- सिमरियाकलां, प0ह०न0-28 ब0न0-284, रा0निम0- चौरई	1.गुलाबवती स्व. पति उमराब प्रसाद ब्राह्मण निवासी ग्राम भूमि स्वामी-सिमरियाकलां	60/2	0.536	सीताजिर जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग		1	0.536 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बन्ध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा. प्र. क्रमांक 630-भू-अर्जन-2020

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 जनवरी 2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक— 688 / 2795 / 2018 / तीन/जेल/भोपाल, दिनांक 19.03.2019 की छायाप्रति संलग्न है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—6 (2) के अन्तर्गत ” नवीन जेल कॉम्प्लेक्स निर्माण बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगे।” अतः अधिनियम की धारा—6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा—11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—15 के उपबन्ध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	मोहखेड	ग्राम—पौनारी प0ह0न—44 / 46 ब.न.—353 रा.नि.म.—इकलविहरी	रकबा—0.090 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू—अर्जन अधिकारी तहसील—सौंसर जिला छिन्दवाड़ा	नवीन जेल कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि—सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू—अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू—अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील—सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अधीक्षक, जिला जेल छिन्दवाड़ा, तहसील—छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि—सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू—अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सुन्दरा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 25-भू-अर्जन-2019

धार, दिनांक 2 जनवरी 2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम काकड़वा तहसील कुक्षी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्प्रेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है :-

### अनुसूची (01)

#### ग्राम - काकड़वा

#### तहसील - कुक्षी

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु	4.610	2.596	7.206
	योग	4.610	2.596	7.206

### अनुसूची (02)

छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम काकड़वा की प्रभावित भूमि का विवरण

#### ग्राम - काकड़वा

#### तहसील - कुक्षी

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का रकबा				अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर)		
		खसरा क्रमांक	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भूरसिंग पिता फुलसिंग जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	10/1	0.000	0.478	0.478	0.000	0.284	0.284
2	निहालसिंह पिता गुलाबसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	10/2	0.000	1.518	1.518	0.000	1.074	1.074
3	भुवानसिंह पिता नाहला जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	12/1	0.000	1.347	1.347	0.000	0.444	0.444
4	दीपसिंह पिता नाहला जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	12/2	0.000	1.610	1.610	0.000	0.250	0.250
5	वालसिंह सदन पिता बदनसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	29	0.000	2.979	2.979	0.000	0.544	0.544
6	समरु बदन राजुबाई भंगडी ठाकुरबाई पिता बालू व भूरलीबाई बेवा बालू जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	32	1.024	0.000	1.024	0.719	0.000	0.719

7	जस्तु पिता हेमरिया जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	33/1	0.877	0.000	0.877	0.487	0.000	0.487
8	शेरसिंह पिता नुरसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	33/2	0.659	0.000	0.659	0.601	0.000	0.601
9	नानभू पिता हेमरिया जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	33/3	0.490	0.000	0.490	0.070	0.000	0.070
10	बनसिंह पिता नुरसिंह जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	35/1/1	0.305	0.000	0.305	0.305	0.000	0.305
11	नवलसिंह पिता नुरसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	35/1/2	0.282	0.000	0.282	0.054	0.000	0.054
12	दिनेश पिता नवलसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	36/1 & 36/2	0.428	0.000	0.428	0.046	0.000	0.046
13	केकु पिता तेरसिंह धुलीबाई बैवा तेरसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	37/1/1	2.528	0.000	2.528	1.239	0.000	1.239
14	रमबाई पति नवलसिंह जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37/1/2	2.626	0.000	2.626	0.971	0.000	0.971
15	राजुबाई पति शेरसिंह जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	37/1/3	1.138	0.000	1.138	0.118	0.000	0.118
योग:-			10.357	7.932	18.289	4.610	2.596	7.206

क्रमांक 27-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01) में छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम करचट तहसील कुक्षी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सोशल इम्प्रेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

#### अनुसूची (01)

##### ग्राम - करचट

##### तहसील - कुक्षी

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु	7.751	0.000	7.751
	योग	7.751	0.000	7.751

#### अनुसूची (02)

छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम करचट की प्रभावित भूमि का विवरण

##### ग्राम - करचट

##### तहसील - कुक्षी

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	भूमि का रकबा				अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर)		
		खसरा क्र.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1		3	4	5	6	7	8	9
1	दिनेश अलिप नाका कालीबाई गुड़ीबाई हतरी रीना रंजना पिता नवलसिंह व नानकीबाई बैवा नवलसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	64/2	1.045	0.000	1.045	0.081	0.000	0.081

2	अक्रम पिता शंकर, अंगरी पति अक्रम जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	66	0.679	0.000	0.679	0.429	0.000	0.429
3	मनु केरमसिंह गंगा पिता भोजसिंह व रमतू बैवा मोतसिंह अकरम राकेश प्रकाश दिलू केन्द्रा रमबाई संभवाई पिता शंकर व राजली बैवा शंकर व अंतरबाई पिता दुलजी जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	70	1.724	0.000	1.724	0.069	0.000	0.069
4	रतन बातम बीरबाई पिता बनसिंह व मनिबाई बैवा बनसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	91/2	1.150	0.000	1.150	0.620	0.000	0.620
5	दिनेश अलीप नाका काली गुडी हत्तरी रीना रंजना पिता नवलसिंह व नानकीबाई बैवा नवलसिंह व रतन बारम बीरबाई पिता बनसिंह व मनिबाई बैवा बनसिंह नुरु पिता रामसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	91/1	1.504	0.000	1.504	0.994	0.000	0.994
6	दिनेश अलीप नाका काली गुडी हत्तरी रीना रंजना पिता नवलसिंह व नानकीबाई बैवा नवलसिंह व रतन बारम बीरबाई पिता बनसिंह व मनिबाई बैवा बनसिंह नुरु पिता रामसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	92	0.115	0.000	0.115	0.115	0.000	0.115
7	दिनेश अलीप नाका काली गुडी हत्तरी रीना रंजना पिता नवलसिंह व नानकीबाई बैवा नवलसिंह व रतन बारम बीरबाई पिता बनसिंह व मनिबाई बैवा बनसिंह नुरु पिता रामसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	93	0.178	0.000	0.178	0.178	0.000	0.178
8	दितल्या पिता हटल्या जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	96	0.648	0.000	0.648	0.156	0.000	0.156
9	भंगु पिता भीक्या जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	107	0.084	0.000	0.084	0.044	0.000	0.044
10	केरु पिता भीक्या जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	108/2/1	0.500	0.000	0.500	0.203	0.000	0.203
11	भंगु पिता भीक्या जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	108/2/2	0.460	0.000	0.460	0.249	0.000	0.249
12	रतन बातम बीरबाई पिता बनसिंह व मनिबाई बैवा बनसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	109/2/1	0.800	0.000	0.800	0.099	0.000	0.099
13	दिनेश अलीप नाका काली गुडी हत्तरी रीना रंजना पिता नवलसिंह व नानकीबाई बैवा नवलसिंह व रतन बारम बीरबाई पिता बनसिंह व मनिबाई बैवा बनसिंह नुरु पिता रामसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	109/2/2	0.538	0.000	0.538	0.380	0.000	0.380
14	भावसिंह पिता बदनसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	119/1	0.627	0.000	0.627	0.084	0.000	0.084
15	सिंगदार पिता नानसिंग जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	120	0.439	0.000	0.439	0.150	0.000	0.150
16	प्रताप पिता सेकड़िया जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	121	0.899	0.000	0.899	0.408	0.000	0.408
17	परवसिंह पिता ठाकुरसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	136	1.348	0.000	1.348	0.129	0.000	0.129
18	किशन पिता तुटिया व इन्दरसिंह पिता बदु जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	139/1	0.209	0.000	0.209	0.045	0.000	0.045
19	भंगु पिता भीक्या जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	141/2	1.000	0.000	1.000	0.660	0.000	0.660
20	समरु पिता नाहला व मुनेश पिता समरु जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	143/1	1.030	0.000	1.030	0.629	0.000	0.629
21	धुमजी पिता नाहला व ध्यानसिंह बेडासिंह पिता धुमजी जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	143/2	0.700	0.000	0.700	0.237	0.000	0.237
22	प्रताप पिता सेकड़िया जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	144	1.035	0.000	1.035	0.431	0.000	0.431
23	आलु कमली गमती पिता धीसु रुखमाराई बैवा धीसु व पारु छिवा ना.बा. पिता मडेसिंह व शेलबाई बैवा मडेसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	145	0.690	0.000	0.690	0.267	0.000	0.267
24	राकेश जगदीश रेश ना.बा. पिता शिवसिंह अ.पा.कर्त्त भाता अनबाई व अनबाई बैवा शिवसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	146/1/1	0.600	0.000	0.600	0.246	0.000	0.246
25	नवलसिंह पिता लालसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	146/1/3	0.500	0.000	0.500	0.418	0.000	0.418
26	आपसिंह पिता लालसिंह जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	146/2/1	1.209	0.000	1.209	0.260	0.000	0.260
27	रतन सुमल हन्दुबाई सहबाई शंकरबाई रेशम पिता रघु व पूनाबाई बैवा रजू जाति भील पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	157	2.268	0.000	2.268	0.170	0.000	0.170
	योग:-		21.979	0.000	21.979	7.751	0.000	7.751

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीकांत बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 36-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-13

डिण्डौरी, दिनांक 14 जनवरी 2020

(अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1))

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम—शहपुरा प.ह.न. 44 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अनुसूची

ग्राम का नाम	सं. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकवा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
शहपुरा	1	देवीप्रसाद पिता हरीलाल	857/5	0.94	0.15	बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु
	2	कमलाबाई वेवा मिठीलाल, बसोरी पिता मिठीलाल, भागवती, गोमती पुत्री सोमती, वर्षा पुत्री मिठीलाल	682/4	0.40	0.07	
	3	चंदोबाई पति नान्ह	186	1.86	0.06	
	4	शिवप्रसाद, महतलाल, दासीप्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद	749/1	1.61	0.15	
		योग:- कृषक 04		4.81	0.43	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामीयों को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

क्रमांक 37-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-18

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम—संग्रामपुर रैयत प.ह.न. 31 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

अनुसूची

ग्राम का नाम	सं. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकवा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
संग्रामपुर रैयत	1	चमनी पति सेमलाल	122/1	0.71	0.02	बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु
	2	पुरुषोत्तम पिता मोतीलाल	98/2	0.23	0.04	
	3	केहरसिंह पिता मोतीलाल	98/1	0.23	0.04	
	4	कतकू पिता भल्लू	101/1	0.29	0.04	
	5	रोहणीप्रसाद पिता खुशीलाल	29/2	0.41	0.03	
		योग:- कृषक 05		1.87	0.17	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामीयों को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

## क्रमांक 38-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-17

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-बांकी प.ह.न. 42 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डोरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

## अनुसूची

ग्राम का नाम	सं. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकवा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
बांकी	1	दुर्गप्रिसाद पिता रामकुमार साहू	949/2	0.05	0.03	बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु
		योग:- कृषक 01		0.05	0.03	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

## क्रमांक 39-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-16

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-भीमपार प.ह.न. 25 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डोरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

## अनुसूची

ग्राम का नाम	सं. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकवा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
भीमपार	1	लक्ष्मीबाई पति बेबू	845/1 845/2 845/3	0.41 0.41 0.41	0.02 0.03 0.03	बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु
		योग:- कृषक 01		1.23	0.08	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

## क्रमांक 40-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-15

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-कारीगढ़हरी रैयत प.ह.न. 61 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

## अनुसूची

ग्राम का नाम	सं. क्र.	खातेदार का नाम	सर्व नंबर	कुल रकवा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हिकट. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
कारीगढ़हरी रैयत	1	फमलसिंह पिता रमाधीन	50	2.14	0.15	बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतू
		योग:- कृषक 01		2.14	0.15	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

## क्रमांक 41-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-15

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-रनगांव प.ह.न. 43 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

## अनुसूची

ग्राम का नाम	सं. क्र.	खातेदार का नाम	सर्व नंबर	कुल रकवा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हिकट. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
रनगांव	1	चमरा पिता पुसौवा	394	0.13	0.06	बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतू
	2	चिंता पिता आशाराम, सुशीलाबाई पति माखन विनोद, प्रमोद, रामकुमार, विदयाबाई पिता माखन लाल मिश्रीलाल, गोपाल, राधेप्रसाद व. आशाराम सुमीबाई लीलाबाई पु. आशाराम	56/1	2.80	0.05	
		योग:- कृषक 02		2.93	0.11	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामीयों को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

## क्रमांक 42-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-10

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विख्यात स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-डुड़ीसरई प.ह.न. 61 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डोरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

## अनुसूची

ग्राम का नाम	सं. क्र.	खातेदार का नाम	सर्व नंबर	कुल रकवा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
डुड़ीसरई	1	कलाबाई पिता हरीप्रसाद	236/2	0.05	0.03	बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु
		योग:- कृषक 01		0.05	0.03	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

## क्रमांक 43-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-12

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र कार्य में प्रभावित ग्राम- बरोदा प.ह.न. 27 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डोरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

## अनुसूची

ग्राम का नाम	सं. क्र.	खातेदार का नाम	सर्व नंबर	कुल रकवा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
बरोदा	1	श्यामा बाई पुत्री सुधूलाल	208	1.13	0.20	बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु
	2	योगेश्वर पिता फूलसाय	226/7	0.34	0.02	
	3	कमलिया ध.प.स्व. श्री छोटेलाल, तेलीलाल सियाराम मलाबाई, पन्नीबाई, नन्नीबाई, ननकीबाई, सतनबाई, मुनैयाबाई पिता छोटेलाल	284	0.59	0.15	
	4	देवदत्त, लवकुश पिता डुमारी	364/2	0.20	0.08	
		योग:- कृषक 04		2.26	0.45	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामीयों को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

## क्रमांक 44-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-19

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-बांकी प.ह.न. 42 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डोरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

## अनुसूची

ग्राम का नाम	सं. क्र.	खातेदार का नाम	सर्व नंबर	कुल रकवा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
बांकी	1	रमेश पिता मनीराम	1169	0.15	0.06	बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु
	2	संतराम पिता रोशमन	949 / 1	1.68	0.02	
		योग:- कृषक 02		1.83	0.08	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामीयों को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

## क्रमांक 45-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-20

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि.ख. स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम - समनपुरा माल प.ह.न. 47 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डोरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारक की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

## अनुसूची

ग्राम का नाम	सं. क्र.	खातेदार का नाम	सर्व नंबर	कुल रकवा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
समनपुरा माल	1	खुन्नीबाई पिता डुमारी	200 / 1	053	0.08	बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु
		योग:- कृषक 01		0.53	0.08	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

## क्रमांक 47-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-21

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार मेंहदवानी विकासखण्ड में स्थित दनदना जलाशय के अंतर्गत शीर्ष कार्य ढूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम भोडासाज माल प.ह.नं. 112 रा.नि.म. राई विकासखण्ड मेंहदवानी जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

संक्र.	ग्राम का नाम	कृषकों का नाम व पिता का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा है. में	वर्तमान में अर्जित रकवा है. में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम भोडासाज माल प.ह.नं. 112 रा.नि.म. राई	रौन् रामसाय, सोमनाथ, जमुना, रवनी, सोमवती, सोगी पिता दुर्लप सिंह	360/1	0.470	0.470	दनदना जलाशय के शीर्ष कार्य का पूरक प्रस्ताव
		कुल योग			0.470	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित के संबंध में दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों को मान्य नहीं की जावेगी।

## क्रमांक 46-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-27

## अनुसूची

ग्राम का नाम	संक्र.	खातेदार का नाम	सर्व नंबर	कुल रकवा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्ट. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
शक्तिभगदू रैयत	1	कन्धी पिता जेठू सरमन रामकुमार पिता लुहरमेन सम्मो पु. लुहरमेन	96	2.76	0.03	बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु
	2	पूलरिंह पिता तितक	97/3	1.93	0.02	
	3	भुखलाल लखन गीराबाई कुन्दकली पिता डुमारी सुखमत पिता डुमारी	98/1	1.20	0.13	
	4	कृष्णबाई पिता चमरा	98/2	1.20	0.14	
	5	अर्जुन कुमार फग्गु पिता भदई मुन्नी पुत्र	99	4.88	0.02	
	6	छोटीबाई पति केहर सुमरन अंगद पिता केहर कुसुम मुंगिया बाई पुत्री केहर पिता चैतू चैतीबाई पति विजेया तीरथ पिता विजेया विश्नु पिता दशोरी शिवराज गुलबसिंह पिता भूता बलसिंह पंचम श्यामसिंह पिता तिवारी	102	0.68	0.13	
	7	शाहमेन पिता कुंवरसेन	103	1.95	0.13	
	8	रत्नसिंह पिता मुलेया कतियाबाई पति बाबूलाल आशाराम शिवकुमार चम्मनबाई पिता बाबूलाल रूपसिंह पिता चूरामन सुचामत पति छोटेलाल कोदूलाल, धनीराम, खेतू पिता छोटेलाल	104	0.85	0.03	
	9	मीराबाई पति सम्हर संतोष संतकुमार पिता सम्हर	105	2.00	0.03	
		योग:- कृषक 09		17.45	0.66	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामीयों को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

## क्रमांक 48-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-28

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगांव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम कारीगढ़हरी माल प.ह.नं. 61 रा.नि.मं. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डोरी के कृषक की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने विचार किया जा रहा है:-

क्र.	ग्राम का नाम	कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकवा हे. में	वर्तमान में अर्जित रकवा हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
01	कारीगढ़हरी माल	तीरथ सिंह पिता हेमसिंह	259	1.00	0.09	बिलगांव जलाशय नहर कार्य हेतु
02		श्याम बाई पिता सखुवा	452/7 456/5	0.20 0.40	0.05 0.15	
		योग -		1.60	0.29	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

## क्रमांक 49-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित सारसडोली जलाशय के वेस्ट वियर निर्माण कार्य से प्रभावित ग्राम सारसडोली प.ह.न 22 रा.नि.म. कोहानी देवरी विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डोरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

स. क्र.	ग्राम का नाम	कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा हे. में	पूर्व में अर्जित रकवा	नये प्रस्ताव अनुसार अर्जित रकवा	कुल अर्जित रकवा(6+7)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सारसडोली	हल्ली रिंह पिता सहजू	490	2.78 हे.	0.58 हे.	0.18 हे.	0.76 हे.	सारसडोली जलाशय के वेस्ट वियर निर्माण हेतु

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित से सम्बंधित दावा सूचना मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15(पन्द्रह) दिवस के अन्दर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे /आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

## क्रमांक 50-भू-अर्जन(अ-82) 2019-20-25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार समनापुर विकासखण्ड में स्थित बरगी जलाशय के अंतर्गत दूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम बरगी रैयत प.ह.नं. 147 रा.नि.म. बम्हनी विकासखण्ड समनापुर जिला डिङडौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है।

स.क्र.	ग्राम का नाम	कृषकों का नाम व पिता का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकवा है में	वर्तमान में अर्जित रकवा है में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम बरगी रैयत प.ह.नं. 147 रा. नि.म. बम्हनी	रामकुमार /सुमरा बुधराम /सुमरा मंगल, बालरती पिता धनुवा जगनी, विजयकुमार, अमरबती /शेर सिंह	196	1.150	1.150	बरगी जलाशय के शीर्ष कार्य का पूरक प्रस्ताव
कुल योग					1.150	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित के संबंध में दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तूत करें, नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों को मान्य नहीं की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 22 जनवरी 2020

क्रमांक 36/भू-अर्जन/2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवरथापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

“अनुसूची”

1— भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला — सीधी
- (ख) तहसील — बहरी
- (ग) नगर/ग्राम — कुचवाही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल — निजी रकवा 1.376 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	1293/1✓	0.030 ✓	रामाश्रय पिता महादेव 1/4 विन्धेश्वरी पिता महादेव 1/4 कौशल प्रसाद रामकिशोर वेनीमाधव पिता मंगल वानी 1/2
2.	1294	0.006 ✓	सुदर्शन पिता रामा बानी
3.	1236	0.058 ✓	सुदर्शन पिता रामा बानी
4.	1284/1524✓	0.040 ✓	बसंती पति सुदर्शन वानी
5.	1284/1✓	0.040 ✓	इन्द्रकुमार पिता लक्ष्मण खसरा 1421 के साथ 0.660 में 0.165 पतली पुत्री चिन्तामणि 0.660 में 0.165 समयलाल जग्यभान सुकर्णी पानकली पिता लहरी मोहन सौखीलाल गुलबिया पिता पियारे नन्दलाल लल्लू राजेन्द्र पिता जगन्नाथ 1/4 रामनरेश रामसुदर्शन राघो किंदुनचंद रामकली छोटवा भुनिया बिट्ठी पिता महादेव
6.	1284/2✓	0.040 ✓	नारायण दास पिता कुन्जबिहारी गुप्ता

7.	1246	0.075	गुलाब प्रसाद राजा राजलाल गोपी पिता बनारस मुश्यामवती वेवा बनारस पिता विशेषर मु दशोद्वी वेवा काशी बाबूलाल हरिहर पिता काशी प्रसाद मु शकुन्तला वेवा केशरीकंचन अर्चना पूनम सोनू मानसी पिता केशरी 1/2 जमुना सरनो अवध पिता गजाधर 1/2
8.	1238	0.067	गुलाब प्रसाद राजा राजलाल गोपी पिता बनारस मुश्यामवती वेवा बनारस पिता विशेषर मु दशोद्वी वेवा काशी बाबूलाल हरिहर पिता काशी प्रसाद मु शकुन्तला वेवा केशरीकंचन अर्चना पूनम सोनू मानसी पिता केशरी 1/2 जमुना सरनो अवध पिता गजाधर 1/2
9.	1229	0.088	जगयमान पिता विश्राम बानी
10.	1198	0.044	बृजभान छोटेलाल बाबूलाल वबनी चन्द्रवती कुसुम पिता जोखू प्रसाद बानी
11.	1196/1	0.120	बृजभान छोटेलाल बाबूलाल वबनी चन्द्रवती कुसुम पिता जोखू प्रसाद बानी
12.	1196/2		लखपती प्रसाद पिता माधौ बानी
13.	1220/1	0.221	बृजभान छोटेलाल बाबूलाल वबनी चन्द्रवती कुसुम पिता जोखू प्रसाद बानी
14.	1220/2		लखपती प्रसाद पिता माधौ बानी
15.	1219	0.027	मुसन्तआ वेवा शिवनाथ महेन्द्र राजेन्द्र तीरथ बाबा उर्मिला शेमयू
16.	1204/1	0.030	बृजभान छोटेलाल बाबूलाल वबनी चन्द्रवती कुसुम पिता जोखू प्रसाद बानी
17.	1204/2		लखपती प्रसाद पिता माधौ बानी
18.	1167/1	0.013	ददन पिता अवध बानी
19.	1166	0.042	जगदीश पिता अवध बानी
20.	745/1	0.015	जगदीश पिता अवध बानी
21.	745/2		ददन पिता अवध बानी
22.	746	0.024	कैलाश प्रसाद उर्दमनि प्रसाद श्रीवती पिता भोला प्रसाद ठाकुरदीन पिता कैलाश प्रसाद यादव
23.	478	0.034	कैलाश प्रसाद उर्दमनि प्रसाद श्रीवती पिता भोला प्रसाद ठाकुरदीन पिता कैलाश प्रसाद यादव
24.	741	0.045	कैलाश प्रसाद उर्दमनि प्रसाद श्रीवती पिता भोला प्रसाद ठाकुरदीन पिता कैलाश प्रसाद यादव
25.	750	0.002	लखपति पिता माधौ बृजभान छोटेलाल बाबूलाल वबनी चन्द्रवती कुसुम पिता जोखू प्रसाद 1/4 जवाहर लाल ददन प्रसाद जगदीश प्रसाद उपेन्द्र प्रसाद पिता अवध 1/2 सुदर्शन पिता रामा मु गणेशिया वेवा महावीर कौशल इन्द्रजीत श्रीनिवास सियावती विद्यावती पिता महावीर 1/8 जग्यमान बुद्धसेन जग्यसेन सोनिया कमलेशिया धनोसिया पिता विश्राम 1/8
26.	747	0.020	शोभनाथ रघुवर पिता दुलुआ अजोरवा पिता अगतुआ अहिर
27.	740	0.005	शोभनाथ रघुवर पिता दुलुआ अजोरवा पिता अगतुआ अहिर
28.	749	0.020	मुवेवा बुलसुआ पति अग्रनाथ केशव प्रसाद रामसजीवन पिता अग्रनाथ मु सोनिया पति चन्द्रप्रताप पुष्पेन्द्र पिता चन्द्रप्रताप शिवकुमार सतीश चन्द्र विष्णु प्रसाद नारेन्द्र प्रसाद शेष प्रताप पिता सवाईलाल बगैं
29.	669	0.045	मुवेवा बुलसुआ पति अग्रनाथ केशव प्रसाद रामसजीवन पिता अग्रनाथ मु सोनिया पति चन्द्रप्रताप पुष्पेन्द्र पिता चन्द्रप्रताप शिवकुमार सतीश चन्द्र विष्णु प्रसाद नारेन्द्र प्रसाद शेष प्रताप पिता सवाईलाल बगैं
30.	724/1/1	0.150	ददन पिता अवध बानी
31.	724/1/2		रामभजन पिता पन्नालाल गुप्ता बानी
32.	725	0.030	ददन पिता अवध बानी
33.	713/1	0.010	जवाहर पिता अवध बानी
34.	713/2		जगदीश पिता अवध बानी
35.	696	0.035	जग्यमान ठाकुरदीन राजाराजभान पिता रघुनाथ दशोद्वी समुदी इन्द्रवसुआ हरवसुआ चन्द्रवसुआ पिता रघुनाथ 1/2 लखपति तनय माधौ बृजभान छोटेलाल बाबूलाल वबनी चन्द्रवती कुसुम पिता जोखू प्रसाद 1/4 जवाहर लाल ददन प्रसाद जगदीश उपेन्द्र प्रसाद पिता अवध 1/4
Total	35 किटा	1.376 Ha.	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है — बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 3 के निर्माण हेतु।  
 3. भूमि के नक्से एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 38 /भू-अर्जन/2019, वैकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्ववासन एवं पुरुषव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### “अनुसूची”

#### 1— भूमि का वर्णन:-

- |                    |   |                     |
|--------------------|---|---------------------|
| (क) जिला           | - | सीधी                |
| (ख) तहसील          | - | बहरी                |
| (ग) नगर/ग्राम      | - | कुड़ैनिया           |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल | - | निजी रकवा 0.803 हे. |

संक्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	229	0.120	रहमतुल्ला पिता अजमेरवक्स
2.	230	0.035	रहमतुल्ला पिता अजमेरवक्स
3.	241	0.071	रहमतुल्ला पिता अजमेरवक्स
4.	243	0.003	हिन्छलाल पिता रामनिहोर राम
5.	242	0.037	रामानुज पिता भदन झोनी
6.	320	0.034	हिन्छलाल पिता रामनिहोर राम
7.	408	0.001	मोतीलाल यज्ञसेन पिता अंगद श्रीनिवास पिता शिवप्रसाद ललती पिता शोभा मुड्हा
8.	407	0.017	मोतीलाल यज्ञसेन पिता अंगद श्रीनिवास पिता शिवप्रसाद ललती पिता शोभा मुड्हा नंदलाल भरतलाल संतलाल अनंतलाल परमेश चुटटी सरोज मीना
9.	406	0.065	मु. छोटी वेवा चित्रसेन रामप्रसाद पिता चित्रसेन मु. बाबुल राजकली पति मुन्नी लाल अजय कुमार पिता मुन्नी लाल राजबहादुर पिता हीरालाल
10.	411	0.021	मु.रामरती पति इन्द्रमणि बतसिया पिता मुखिया लालमणि पिता मुखिया रामप्रसाद शंकर चन्दवली सूर्यबली पिता राजपति मु. मुगिया वेवा राजपति हिन्छपति पिता शिवा रामकली मुलवी पिता शिवा फुलबसुआ वेवा वंशपति सुखलाल शिवप्रसाद छोटे राजकुमार पिता वंशपति मु. चन्द्रवती वेवा बिहारी काजल राधा सूरज नीरज पिता बिहारी
11.	446	0.020	मु.रामरती पति इन्द्रमणि बतसिया पिता मुखिया लालमणि पिता मुखिया रामप्रसाद शंकर चन्दवली सूर्यबली पिता राजपति मु. मुगिया वेवा राजपति हिन्छपति पिता शिवा रामकली मुलवी पिता शिवा फुलबसुआ वेवा वंशपति सुखलाल शिवप्रसाद छोटे राजकुमार पिता वंशपति मु. चन्द्रवती वेवा बिहारी काजल राधा सूरज नीरज पिता बिहारी
12.	447	0.012	मु.रामरती पति इन्द्रमणि बतसिया पिता मुखिया लालमणि पिता मुखिया रामप्रसाद शंकर चन्दवली सूर्यबली पिता राजपति मु. मुगिया वेवा राजपति हिन्छपति पिता शिवा रामकली मुलवी पिता शिवा फुलबसुआ वेवा वंशपति सुखलाल शिवप्रसाद छोटे राजकुमार पिता वंशपति मु. चन्द्रवती वेवा बिहारी काजल राधा सूरज नीरज पिता बिहारी
13.	450	0.044	मु.रामरती पति इन्द्रमणि बतसिया पिता मुखिया लालमणि पिता मुखिया रामप्रसाद शंकर चन्दवली सूर्यबली पिता राजपति मु. मुगिया वेवा

			राजपति हिन्चपति पिता शिवा रामकली मुलवी पिता शिवा फुलबसुआ वेवा वंशपति सुखलाल शिवप्रसाद छोटे राजकुमार पिता वंशपति मु. चन्द्रवती वेवा बिहारी काजल राधा सूरज नीरज पिता बिहारी
14.	451	0.091	मु.रामरती पति इन्द्रमणि बत्सिया पिता मुखिया लालमणि पिता मुखिया रामप्रसाद शंकर चन्द्रवली सूर्यबली पिता राजपति मु. मुगिया वेवा राजपति हिन्चपति पिता शिवा रामकली मुलवी पिता शिवा फुलबसुआ वेवा वंशपति सुखलाल शिवप्रसाद छोटे राजकुमार पिता वंशपति मु. चन्द्रवती वेवा बिहारी काजल राधा सूरज नीरज पिता बिहारी
15.	452	0.035	इन्द्रपति जग्यभान जग्यलाल पिता विशेषर वेवा गुलाबवती पति हुब्लाल रामबहोर गोविन्द अशोक पति हुब्लाल
16.	404	0.037	बुद्धसेन पिता रामशरण राम
17.	454	0.002	नंदलाल भरतलाल संतलाल अनंतलाल परमेश चुट्टी सरोज मीना
18.	495	0.111	राजमन पिता सुकदेव रामकृपाल पिता ज्ञानेश्वर
19.	494	0.047	राजमन पिता सुकदेव रामकृपाल पिता ज्ञानेश्वर
Total	19 किता	0.803 Ha.	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है — बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु।  
 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू—अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 40...../भू—अर्जन/2019, चौकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि—अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा—19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### “ अनुसूची”

#### 1— भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला — सीधी  
 (ख) तहसील — बहरी  
 (ग) नगर / ग्राम — बैलहा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल — निजी रकवा 2.576 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
			4
1.	18	0.120	मोतीराम ददोल राम रामभुवन बृजबिहारी पिता शिवरतन राम
2.	41	0.015	मोतीराम ददोल राम रामभुवन बृजबिहारी पिता शिवरतन राम
3.	43	0.0046	मोतीराम ददोल राम रामभुवन बृजबिहारी पिता शिवरतन राम
4.	44	0.050	मोतीराम ददोल राम रामभुवन बृजबिहारी पिता शिवरतन राम
5.	32	0.160	अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल
6.	33	0.040	अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल
7.	35	0.072	अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल
8.	37	0.064	अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल
9.	38	0.001	अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल
10.	39	0.072	अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल
11.	40	0.015	अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल
12.	77	0.036	अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल
13.	78	0.036	अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल
14.	85	0.030	अशीष सिंह पिता दानबहादुर सिंह चन्देल
15.	42	0.070	हीरामणि पिता महाबली राम ब्रा.
16.	76	0.115	शशिभूषण सिंह पिता महेश प्रताप सिंह
17.	101	0.070	शशिभूषण सिंह पिता महेश प्रताप सिंह
18.	102	0.050	शशिभूषण सिंह पिता महेश प्रताप सिंह

19.	106.	0.028	शशिभूषण सिंह पिता महेश प्रताप सिंह
20.	108	0.116	शशिभूषण सिंह पिता महेश प्रताप सिंह
21.	114	0.088	शशिभूषण सिंह पिता महेश प्रताप सिंह
22.	115	0.002	सोनइया पिता जोखन कोल
23.	116	0.032	छोटवा पिता पंचम कोल
24.	119/1	0.080	शशिभूषण सिंह हरिकमल सिंह पिता महेश प्रताप सिंह मु. सीता देवी वेवा महेश प्रताप सिंह
25.	119/2	0.120	अमित कुमार सिंह अजय कुमार सिंह पिता हरिकमल सिंह
26.	133/1		मणिकंठ पिता श्रीराम
27.	133/2	0.232	रमाशंकर पिता रामभद्र
28.	133/3		सन्तोष कुमार बुद्धिमान पिता हरिशंकर मिश्रा
29.	134	0.044	सन्तोष कुमार बुद्धिमान पिता हरिशंकर मिश्रा
30.	135/1	0.040	हीरामणि पिता श्रीराम मिश्रा
31.	135/2		सन्तोष कुमार बुद्धिमान पिता हरिशंकर मिश्रा
32.	136/1	0.210	रमाशंकर पिता रामभद्र
33.	136/2		सन्तोष कुमार बुद्धिमान पिता हरिशंकर मिश्रा
34.	137	0.014	चन्द्रप्रताप सिंह पिता मनराज सिंह रणबहादुर सिंह पिता मनराज सिंह संदीप सिंह पिता चन्द्रप्रताप सिंह
35.	1113	0.040	चन्द्रप्रताप सिंह पिता मनराज सिंह रणबहादुर सिंह पिता मनराज सिंह संदीप सिंह पिता चन्द्रप्रताप सिंह
36.	1114	0.015	चन्द्रप्रताप सिंह पिता मनराज सिंह रणबहादुर सिंह पिता मनराज सिंह संदीप सिंह पिता चन्द्रप्रताप सिंह
37.	1127	0.435	चन्द्रप्रताप सिंह पिता मनराज सिंह रणबहादुर सिंह पिता मनराज सिंह संदीप सिंह पिता चन्द्रप्रताप सिंह
38.	1145	0.060	चन्द्रप्रताप सिंह पिता मनराज सिंह रणबहादुर सिंह पिता मनराज सिंह संदीप सिंह पिता चन्द्रप्रताप सिंह
Total	38 किता	2.576 Ha.	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु।  
 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 42 /भू-अर्जन/2019, चौंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रक्वे का कालम 4 में अकित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### “अनुसूची”

#### 1- भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	- सीधी
(ख) तहसील	- बहरी
(ग) नगर/ग्राम	- सक
(घ) लगभग क्षेत्रफल	- निम्नी रकवा 1.672 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अंजित रकवा हेक्टेयर में	भूमि रखारी का नाम
1	2	3	4
1.	91	0.100	बुद्धसेन संजय पप्पू गुड़डी पिता रामजीत शीला वेवा मुद्रिका मोना पिता मुद्रिका
2.	60	0.075	बूटी देवी वेवा ललन राम विश्वनाथ मूलसजीवन संतोष कुमार बालमुकुन्द कृष्णकृमार पिता ललनराम
3.	89	0.075	मु. सन्तानिया येवा विशाले हिंचलाल बाबूलाल रामदयाल पिता विशाले
4.	88	0.136	मवालाल मथुरा गोकुल जयसेन पिता रामवतार
5.	64	0.040	अवधेश कुमार पिता महेश सोनी
6.	66	0.090	रामसजीवन पिता देवता प्रसाद
7.	223	0.008	रामसजीवन पिता देवता प्रसाद सेन
8.	224	0.055	रामसजीवन पिता देवता प्रसाद सेन
9.	67	0.016	केदार इयामविहारी पिता मुरारी लाल सोनी
10.	68	0.005	मु. पार्वती देवी पति महेश सोनी मेवा सोनी सन्तोष पिता महेश सोनी
11.	69	0.024	मु. पार्वती देवी पति महेश सोनी मेवा सोनी सन्तोष पिता महेश सोनी
12.	72/1	0.070	मु. शशी वेवा शोभनाथ पंकज कुमार पिता शोभनाथ
13.	72/2	0.040	जगदीश प्रसाद रामप्रसाद मिथिला प्रसाद हेमराज
14.	74	0.085	श्रीभान अनिल अमित रंगनाथ पिता रामगिलन 1/2 रामेश्वर पिता वशपति 1/4 रामलाल पिता झल्लू नाई 1/4
15.	75	0.018	मु. रामकली वेवा मिठुआ 1/3 मिल्ला जमुना पिता अडवंगा 1/3 लंगडा सुग्रीव पिता छद्दारी मु. वेवा फूलकुमारी पति बृजमोहन गोविन्द दददे पिता बृजमोहन 1/3
16.	169	0.002	सुखसागर पिता गुलाबराम
17.	170	0.075	राजराखन सुग्रेलाल पिता रामेश्वर
18.	171	0.032	सुखसागर पिता गुलाबराम
19.	268	0.040	सुखसागर पिता गुलाबराम
20.	269	0.070	सुखसागर पिता गुलाबराम
21.	262	0.050	सुखसागर पिता गुलाबराम
22.	196	0.010	सुखसागर पिता गुलाबराम
23.	197/2	0.060	सुखसागर पिता गुलाबराम
24.	198	0.045	सुखसागर पिता गुलाबराम
25.	263	0.030	सुखसागर पिता गुलाबराम मु. रामरत्नी वेवा गुलाबराम
26.	270	0.002	गंगा प्रसाद कीर्तन प्रसाद पवन कुमार पिता चन्द्रिका प्रसाद
27.	199	0.036	रामसागर तनय गुलाब राम शुक्ला
28.	195	0.010	रामसागर तनय गुलाब राम शुक्ला
29.	201	0.028	रामसागर पिता गुलाब राम शुक्ला
30.	202	0.008	रामसागर पिता गुलाब राम शुक्ला
31.	227	0.057	रामसागर पिता गुलाब राम शुक्ला
32.	229	0.035	रामसागर पिता गुलाब राम शुक्ला
33.	226	0.015	बद्री प्रसाद रमाकान्त श्रीकान्त देवेन्द्र प्रसाद पिता देवराज 1/3 त्रिभुवन प्रसाद राजेश्वर प्रसाद बाबूलाल दादूलाल सावित्री कुसुमकली पिता राममणि मु. चिरजिया वेवा राममणि
34.	228	0.070	बद्री प्रसाद रमाकान्त श्रीकान्त देवेन्द्र प्रसाद पिता देवराज 1/3 त्रिभुवन प्रसाद राजेश्वर प्रसाद बाबूलाल दादूलाल सावित्री कुसुमकली पिता राममणि मु. चिरजिया वेवा राममणि
35.	222	0.048	उर्मिला पल्ली रामसजीवन
36.	211	0.027	मु. सोनउ वेवा रामप्रसाद
37.	212	0.085	रामबहार पिता सत्यनारायण
Total	37 किला	1.672 Ha	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है — बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु।
3. भूमि के नवरो एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक ४५ /भू-अर्जन/2019, चैंकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवा का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### “ अनुसूची”

#### 1- भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	बहरी
(ग) नगर/ ग्राम	-	खैरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल	-	निजी रकवा 1.289 हे.

संक्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	315	0.001	मुरामरती देवी वेवा परमेश्वराम चन्द्रशेखर तरुण कुमार पिता परमेश्वर राम बस्तेराम पिता रामलाल गुजेश्वरी प्रसाद ताकेश्वर प्रसाद द्वारिका प्रसाद हर्ष लाल पिता जानकी राम मु. जानकी वेवा सियाश्वरण अज्ञान जागेश्वर प्रसाद रामेश्वर प्रसाद पिता ववनराम पा.मा हिन्छरजुआ वेवा ववनराम
2.	321	0.002	बैजनाथ पिता रामबहोर 1/2 भगवत प्रसाद मिथिला प्रसाद पिता रामराज लालमणि राम पिता दर्शनराम 1/2
3.	319	0.072	लालमणि राम पिता दर्शन राम ब्रा.
4.	344	0.044	बद्री प्रसाद रमाकान्त श्रीकान्त देवेन्द्र प्रसाद पिता देवराज 1/3 त्रिभुवन प्रसाद राजेश्वर प्रसाद बाबूलाल दादूलाल सावित्री कुसुमकली पिता राममणि मु. चिरंजिया वेवा राममणि 2/3
5.	356	0.012	बद्री प्रसाद रमाकान्त श्रीकान्त देवेन्द्र प्रसाद पिता देवराज 1/3 त्रिभुवन प्रसाद राजेश्वर प्रसाद बाबूलाल दादूलाल सावित्री कुसुमकली पिता राममणि मु. चिरंजिया वेवा राममणि 2/3
6.	353	0.060	बद्री प्रसाद रमाकान्त श्रीकान्त देवेन्द्र प्रसाद पिता देवराज 1/3 त्रिभुवन प्रसाद राजेश्वर प्रसाद बाबूलाल दादूलाल सावित्री कुसुमकली पिता राममणि मु. चिरंजिया वेवा राममणि 2/3
7.	318	0.052	देवानन्द तनय हीरामणि 2/3 छविराम पिता अवधराम 1/3
8.	371	0.054	ललन सिंह अमर बहादुर सिंह शाहदूल सिंह पिता फत्ते लाल सिंह मु. पार्वती पति फत्ते लाल सिंह
9.	398	0.061	चन्द्रप्रताप सिंह अर्जुन सिंह रणबहादुर सिंह मुन्नी पिता मणिराज सिंह मु. नेवाजू देवी पत्नी मणिराज सिंह
10.	406	0.010	चन्द्रप्रताप सिंह अर्जुन सिंह रणबहादुर सिंह मुन्नी पिता मणिराज सिंह मु. नेवाजू देवी पत्नी मणिराज सिंह
11.	405	0.042	चन्द्रप्रताप सिंह अर्जुन सिंह रणबहादुर सिंह मुन्नी पिता मणिराज सिंह मु. नेवाजू देवी पत्नी मणिराज सिंह
12.	408	0.040	चन्द्रप्रताप सिंह अर्जुन सिंह रणबहादुर सिंह मुन्नी पिता मणिराज सिंह मु. नेवाजू देवी पत्नी मणिराज सिंह
13.	394	0.050	चन्द्रप्रताप सिंह अर्जुन सिंह रणबहादुर सिंह मुन्नी पिता मणिराज सिंह मु. नेवाजू देवी पत्नी मणिराज सिंह
14.	397	0.001	रामजियावन सिद्धिनाथ रामसजीवन सुग्रीव प्रसाद पिता देवतादीन नाई 1/3 रामगोपाल रामगरीब रामचन्द्र पिता तिलंगा नाई 1/3 जमालुद्दीन

			तनय फड़जान वक्स 1/3
15.	422	0.008	सावितरजा हामिदरजा उजीरवक्स समीर वक्स लाल मो. पिता रहमत मु. सखिनिया वेवा रहमत वक्स उजीर वक्स अब्दुल वक्स छोटा वक्स नजीर वक्स नसीर वक्स पिता अकबर
16.	484/2	0.025	मो. मुस्ताक पिता निजामुद्दीन
17.	511	0.033	मो. मुस्ताक अली पिता नजाबुद्दीन
18.	485	0.010	मो. मुस्ताक अली पिता नजाबुद्दीन
19.	486	0.065	कुसुम कली पत्नी भैयालाल शकुन्तला पत्नी राजराखन शकुन्तला पत्नी आनन्द मिश्रा
20.	488	0.074	पारसनाथ दूधनाथ रंगनाथ पिता दीनबन्धु मु. मोतिया वेवा दीनबन्धु
21.	495	0.013	उमेश ललू पिता अवधलाल मु. वीणा वेवा बबू माली ललू राजा पिता रामाओतार शिवबहोर पिता विन्द्रा मु. पतिया वेवा विन्द्रा छेदी मथुरा पिता छोटकैला उमेश कुमार पिता अवध प्रसाद मु. रजनी वेवा राजेश कुमार कु. रंजना कु. वंदना पुत्री राजेश कुमार संरक्षिका माता मु. रजनी वेवा राजेश कुमार
22.	492	0.046	उमेश ललू पिता अवधलाल मु. वीणा वेवा बबू माली ललू राजा पिता रामाओतार शिवबहोर पिता विन्द्रा मु. पतिया वेवा विन्द्रा छेदी मथुरा पिता छोटकैला उमेश कुमार पिता अवध प्रसाद मु. रजनी वेवा राजेश कुमार कु. रंजना कु. वंदना पुत्री राजेश कुमार संरक्षिका माता मु. रजनी वेवा राजेश कुमार
23.	493	0.123	भगवत निचकवा इन्द्रपतिया दद्दी पिता जागेश्वर छोटकैला पिता गप्पू
24.	584	0.008	विद्याकान्त देवेन्द्र प्रसाद पिता कैलाश राम मु. फूलमती वेवा कैलाश राम मोतीराम ददोल प्रसाद रामभुवन बृजबिहारी पिता शिवरतन राम
25.	583	0.086	रामकुमार कन्हैयालाल पिता सुदामा मु. चौरसिया वेवा सुदामा वैजनाथ पिता शिवधारी महेश सिद्धिमुनी चन्द्रिका रामायण पिता राजमणि सुरेश राजेश पिता संतकुमार
26.	585	0.030	देवानन्द पिता हीरामणि
27.	580/1	0.053	बबन राम रामचन्द्र पिता रामरतनराम रामनेवाज राम बबनराम रामचन्द्र पिता रामरतन राम 1/2 बृजबिहारी कैलाश राम मोतीराम रामभुवन ददोल प्रसाद पिता शिवरतन राम मु. पार्वती वेवा शिवरतन राम 1/2
28.	580/2	0.054	भरतलाल भीमसेन पिता रामनेवाज
29.	410	0.020	कामता पिता सहाय नाई 1/2 धनरजुआ वेवा बैजनाथ सहदेव पिता बैजनाथ नाई 1/2
30.	413	0.020	कामता पिता सहाय नाई 1/2 धनरजुआ वेवा बैजनाथ सहदेव पिता बैजनाथ नाई 1/2
31.	414	0.030	कामता पिता सहाय नाई 1/2 धनरजुआ वेवा बैजनाथ सहदेव पिता बैजनाथ नाई 1/2
32.	415	0.020	कामता पिता सहाय नाई 1/2 धनरजुआ वेवा बैजनाथ सहदेव पिता बैजनाथ नाई 1/2
33.	417	0.020	कामता पिता सहाय नाई 1/2 धनरजुआ वेवा बैजनाथ सहदेव पिता बैजनाथ नाई 1/2
34.	418	0.050	कामता पिता सहाय नाई 1/2 धनरजुआ वेवा बैजनाथ सहदेव पिता बैजनाथ नाई 1/2
Total	34 किता	1.289 Ha.	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है – बहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर 5 के निर्माण हेतु।  
 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 47 / भू-अर्जन / 2020, चौंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### “ अनुसूची”

#### 1- भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	बहरी
(ग) नगर / ग्राम	-	झुमरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल	-	निजी रकवा 1.323 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1	127/1	0.120	यशवंत सिंह पिता कालिका सिंह
2	127/2		बसन्तराज सिंह पिता कालिका सिंह
3	118	0.056	बसन्तराज सिंह पिता कालिका सिंह गहरवार
4	119/3	0.050	यशवंत सिंह पिता कालिका सिंह
5	120	0.025	यशवंत सिंह पिता कालिका सिंह
6	199	0.025	अवधराज सिंह पिता गुलाब सिंह गहरवार
7	256	0.170	समशेर बहादुर सिंह पिता बीर बहादुर सिंह गहरवार मु.सुधा सिंह वेवा राजेन्द्र प्रताप सिंह प्रदीप सिंह पिता राजेन्द्र प्रताप सिंह गहरवार
8	276/2	0.240	गुलाब सिंह पिता केमलीराम ब्रा.
9	28/1	0.020	गुलाब सिंह पिता केमलीराम ब्रा.
10	276/3	0.150	चन्द्रप्रताप अंजनी कुमार पिता ज्ञानपतिराम सिरमनिया वेवा ज्ञानपति राम ब्रा.
11	198/2/2	0.016	बाबूलाल सिंह पिता गुलाब सिंह गहरवार
12	27/7	0.110	राजेन्द्र प्रसाद पिता बृहस्पतिराम
13	117	0.052	दलवीर सभाजीत प्रभाकर बृजनाथक उर्मिला विनोद पिता लाल बिहारी
14	23	0.030	दलवीर सभाजीत प्रभाकर बृजनाथक उर्मिला विनोद पिता लाल बिहारी
15	14/2	0.090	दशरथ सिंह दत्तक पुत्र श्रीपाल सिंह चौहान
16	12	0.010	दशरथ सिंह दत्तक पुत्र श्रीपाल सिंह चौहान
17	119/2	0.035	पुष्पराज सिंह प्रमोद सिंह पिता विष्णुप्रताप सिंह मु. चम्पा देवी वेवा विष्णुप्रताप 1/4 जैवेन्द्र सिंह दानबहादुर सिंह पिता जगत बहादुर सिंह 1/2 सुखराजू वेवा जगत बहादुर सिंह 1/4
18	225	0.014	पुष्पराज सिंह प्रमोद सिंह पिता विष्णुप्रताप सिंह मु. चम्पा देवी वेवा विष्णुप्रताप 1/4 जैवेन्द्र सिंह दानबहादुर सिंह पिता जगत बहादुर सिंह 1/2 सुखराजू वेवा जगत बहादुर सिंह 1/4
19	226	0.060	पुष्पराज सिंह प्रमोद सिंह पिता विष्णुप्रताप सिंह मु. चम्पा देवी वेवा विष्णुप्रताप 1/4 जैवेन्द्र सिंह दानबहादुर सिंह पिता जगत बहादुर सिंह 1/2 सुखराजू वेवा जगत बहादुर सिंह 1/4
20	230	0.020	पुष्पराज सिंह प्रमोद सिंह पिता विष्णुप्रताप सिंह मु. चम्पा देवी वेवा

			विष्णुप्रताप 1/4 जैवेन्द्र सिंह दानबहादुर सिंह पिता जगत बहादुर सिंह 1/2 सुखराजू वेवा जगत बहादुर सिंह 1/4
21	119/1	0.020	पुष्पराज सिंह पिता अवधराज सिंह गहरवार
22	10	0.010	रामलला पिता रामजी राम ब्रा.
योग	22 किता	1.323 Ha.	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है — बहरी मुख्य नहर निर्माण हेतु
3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

क्रमांक 49 /भू-अर्जन/2019, चौंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकवे का कालम 4 में अंकित भूमिस्वामी की भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### “अनुसूची”

#### 1— भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	बहरी
(ग) नगर/ग्राम	-	पटेहरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल	-	निजी रकवा 2.673 हे.

स.क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4
1.	4/1	0.030	हनुमान सिंह पिता राजपति सिंह चौहान
2.	4/2	0.036	हनुमान सिंह पिता राजपति सिंह चौहान
3.	3	0.034	महेश पिता बली गडेरी
4.	13	0.158	विष्णु बहादुर सिंह पिता निरपति सिंह
5.	12/1	0.010	विष्णु बहादुर सिंह पिता निरपति सिंह
6.	12/2	0.070	प्रदीप सिंह पिता बलभद्र सिंह
7.	17	0.050	सुशीला सिंह पिता प्रदीप सिंह चौहान 38/69 शिवनाथ सुखमन्ती पिता मूडी दशरथ पिता वंशधारी छना पिता बुद्धी सम्पति पिता भागीरथी सुकाली पिता पन्धी मु मुनिया वैवा तेजइ महावीर श्यामलाल लालमनि पिता तेजइ कल्लू कशिया मुन्नी पुत्री तेजई नारायण पिता मुन्ना कोरी 31/69
8.	19/1	0.010	जलसेन पिता इन्द्रपाल सिंह चौहान
9.	21/3	0.025	जलसेन पिता इन्द्रपाल सिंह चौहान
10.	20/1	0.040	जलसेन पिता इन्द्रपाल सिंह चौहान
11.	20/2	0.020	राजेन्द्र बहादुर सिंह पिता इन्द्रपाल सिंह
12.	19/2	0.050	राजेन्द्र बहादुर सिंह पिता इन्द्रपाल सिंह
13.	22/1	0.010	धनंजय सिंह पिता बलभद्र सिंह
14.	22/2	0.025	सचिन सिंह पिता बलभद्र सिंह
15.	21/1	0.040	राजराखन सिंह माखन सिंह जलसेन सिंह राजेन्द्र बहादुर सिंह पिता इन्द्रपाल सिंह
16.	21/2	0.025	राजराखन सिंह पिता बलभद्र सिंह
17.	95	0.002	अवधराज सिंह पुष्पराज सिंह भागीरथ सिंह आनन्द बहादुर सिंह कुटिया पिता त्रिवेणी सिंह
18.	96	0.080	अवधराज सिंह पुष्पराज सिंह भागीरथ सिंह आनन्द बहादुर सिंह कुटिया पिता त्रिवेणी सिंह
19.	97	0.070	अवधराज सिंह पुष्पराज सिंह भागीरथ सिंह आनन्द बहादुर सिंह कुटिया पिता त्रिवेणी सिंह
20.	141	0.130	अवधराज सिंह पुष्पराज सिंह भागीरथ सिंह आनन्द बहादुर सिंह कुटिया पिता त्रिवेणी सिंह
21.	491	0.040	अवधराज सिंह पुष्पराज सिंह भगीरथ सिंह आनन्द बहादुर सिंह कुटिया पिता त्रिवेणी सिंह
22.	102	0.008	रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह मु अमरावती वैवा बालके सिंह

23.	110	0.170	रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह मु. अमरावती वेवा बालके सिंह
24.	109	0.060	रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह मु. अमरावती वेवा बालके सिंह
25.	113	0.020	रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह मु. अमरावती वेवा बालके सिंह
26.	114	0.020	रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह मु. अमरावती वेवा बालके सिंह
27.	121	0.090	रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह
28.	122	0.005	रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह
29.	123/1	0.020	रजबन्त सिंह राजबहोरन सिंह रामपाल सिंह पिता बालके सिंह
30.	123/2	0.170	श्रीमती रामरती पति रामकुमार 5/6 श्रीमती रजवन्ती पति लालमणि 1/5
31.	140	0.008	दलवीर सिंह पिता लालबिहारी सिंह ना.ब.सं. पिता लालजी बिहारी चौहान
32.	137	0.080	दलवीर सिंह पिता लालबिहारी सिंह ना.ब.सं. पिता लालजी बिहारी चौहान
33.	136	0.010	हीरालाल सिंह पिता राजीव लोचन सिंह परिहार
34.	135	0.036	हीरालाल सिंह पिता राजीव लोचन सिंह परिहार
35.	134	0.024	रघुराज सिंह पिता राजीव लोचन सिंह परिहार
36.	191	0.096	मु. विमलेश कुमारी वेवा शत्रुघ्न सिंह जीवेन्द्र कुमार सिंह पिता शत्रुघ्न सिंह भारत सिंह तुलसी कुमारी पिता इन्द्राज सिंह मु. सुशीला वेवा इन्द्राज सिंह
37.	203	0.030	मु. विमलेश कुमारी वेवा शत्रुघ्न सिंह जीवेन्द्र कुमार सिंह जैवेन्द्र कुमार सिंह पिता शत्रुघ्न सिंह भारत सिंह तुलसी कुमारी पिता इन्द्राज सिंह मु. सुशीला वेवा इन्द्राज सिंह
38.	445	0.095	मु. छोटी वेवा छठिलाल सूर्योदीन रामदीन हीरा पिता छठिलाल कोरी
39.	469/3	0.002	मु. छोटी वेवा छठिलाल सूर्योदीन रामदीन हीरा पिता छठिलाल कोरी
40.	446/1	0.010	हृदयलाल पिता शिवपतिया हृदयलाल समुद्री मनगिरिया पिता शिवपतिया कोरी
41.	462/1	0.045	सुखलाल पिता चैता कोरी
42.	465/1	0.010	सुखलाल पिता चैता कोरी
43.	469/2	0.020	सुखलाल पिता चैता कोरी
44.	464/1	0.064	अनन्दे पिता सखई कोरी
45.	472	0.020	अनन्दे पिता सखई कोरी
46.	469/1	0.065	अनन्दे पिता सखई कोरी
47.	471	0.018	शोभई महावीर पिता रजई कोरी
48.	470/1	0.025	शिवानन्दन पिता सखई कोरी
49.	474/1	0.040	गिरीश कुमार सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान
50.	494	0.002	गिरीश कुमार सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान
51.	489/1	0.080	गिरीश कुमार सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान
52.	485	0.060	गिरीश कुमार सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान
53.	512	0.105	गिरीश कुमार सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान
54.	513	0.070	जगबन्दन सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान
55.	529	0.010	जगबन्दन सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान
56.	528	0.130	जगबन्दन सिंह पिता राघव प्रताप सिंह चौहान
Total	56 किमा	2.673 Ha.	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है — वहरी मुख्य नहर की माइनर नम्बर ३ के निर्माण हेतु।  
 3. भूमि के नक्शे एवं प्लान भू-अर्जन कार्यालय सिहावल में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 1854-भू-अर्जन-2020

राजगढ़, दिनांक 25 जनवरी 2020

(अंतर्गत धारा – 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में उचावदा परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

#### अनुसूची (1)

उचावदा सिंचाई परियोजना		तहसील – जीरापुर
क्र	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है. मे)
	निजी भूमि उचावदा सिंचाई परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	
1	ग्राम उचावदा की भूमि	0.597
	योग	0.597

#### अनुसूची (2)

क्र	कृषक का नाम मय पिता/पति का नाम एवं जाति	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	हीरालाल, देवीलाल, पिता किशनलाल जाति सौंध्या पता नि. ग्राम	124	3.149	0.597
	कुल योग –		3.149	0.597

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरिक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**संस्कृति विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2020**

क्रमांक एफ 11-15/2016/तीस- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 की धारा-3 की उपधारा-(1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्र. एफ 11-15/16/तीस, दिनांक 24/05/2016 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था।

2/ शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा निम्नलिखित प्राचीन स्मारकों को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-

क्र.	राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	म.प्र.	सतना	मङ्गवां	सरभंगा	यजवेदी स्थल के प्राचीन मंदिरों के अवशेष	51/1	18.736 में से 300x300 मी. क्षेत्र	म.प्र. शासन, वन विभाग	नहीं
2	म.प्र.	सतना	मङ्गवां	सरभंगा	शैलोत्कीर्ण गणेश प्रतिमा व ब्रह्मकुण्ड के समीप के मंदिर व छत्री	45	0.198	म.प्र. शासन, वन विभाग	नहीं
						46	0.129	म.प्र. शासन, रास्ता	नहीं
						47	18.896 में से 300x300 मीटर क्षेत्र	म.प्र. शासन, पहाड़	नहीं
3	म.प्र.	सतना	मङ्गवां	सरभंगा	महावीर पहाड़ी का हनुमान मंदिर	29	0.352	म.प्र. शासन, वन विभाग	नहीं
						30	0.858	म.प्र. शासन, वन विभाग	नहीं

4	म.प्र.	सतना	मझगवां	सरभंगा	वृद्धाश्रम के पीछे का प्राचीन शिवमंदिर	42	0.979 में से 100x100	श्रीराम जानकी अगवान् पुजारी श्री महन्त रामशिरोमणी दास चेला लक्ष्मणदास प्रबंधक कलेक्टर सतना	हॉ
5	म.प्र.	सतना	मझगवां	सरभंगा	शैलोत्कर्षी चमुण्ड सांवर पहाड़ी (खदान क्षेत्र में स्थित)	47	18.896 में से 50x50 मी. क्षेत्र	म.प्र. शासन, पहाड़	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सं 29

शिवपुरी, दिनांक 11 फरवरी 2020

जहाँ सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोगनार्थ किशनपुरा ग्राम विछोर तालुक /उपर्युक्त /तहसील /ब्लॉक (यथा लागू) शिवपुरी जिला में कुल 4.25 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात् ।

इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 4.25 हेक्टेयर है जो ग्राम किशनपुरा तालुक /उपर्युक्त /तहसील /ब्लॉक (यथा लागू) विछोर जिला शिवपुरी में है, जिसका विस्तृत व्योग निम्नलिखित है :

क्र.	सर्वेक्षण संख्या	स्थानिक का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्र (हेक्टर)	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	परिसंपत्तियों का व्योरा		
						प्रकार	कुर्सी ऐसिया	
1	156 155	भू-स्थानी	सिचित	0.19 0.42	0.15 0.35	महेशप्रसाद ओमप्रकाश पुत्रगण प्रेमनारायण उर्मिला पुत्री प्रेमनारायण हि. 1/4 संजीवकुमार राजीवकुमार सुरेशकुमार ब्रजेशकुमार अनीलकुमार नावा. पुत्रगण देवकीनन्दन सुनीता रसी गीता देवी पुत्रीया देवकीनन्दन नावा. सर माता गोदावाई मु. गोदावाई वेणा देवकीनन्दन हि. 1/4 केशरदेवी वेवा केदारनाथ अनिल हर्षबर्धन हरिराम पुत्रगण केदारनाथ मुनी गीता पुत्री केदारनाथ जाति ब्रा. 1/2	मकान की कुर्सी पक्की कुआ पवका चटूरा पवका	9
1	152	भू-स्थानी	अस्तित्व	0.45	0.09	सूर्यकांत चन्द्रकांत पुत्रगण केलाशप्रसाद रचना रेखा पुत्रीया केलाशप्रसाद मु. माया वेवा केलाशप्रसाद हि 1/2 भाया वेवा रामेश्वर द्वारक प्रसाद अमिकाप्रसाद बेनीप्रसाद राजेन्द्रप्रसाद पुत्रगण रामेश्वर 1/2		
2								



9	21	भू-स्वामी	सिंचित	1.83	-	0.07	पूर्ण पुत्र वंशी प्रीति बसती पुत्रीण वंशी मु. बुदिया
10	159	भू-स्वामी	सिंचित	1.32	-	0.01	रवीकान्त पुत्र प्रगीलाल शयमलाई वेवा प्रगीलाल ममता शशि पुत्र प्रगीलाल जाति ब्रा
11	9/4	भू-स्वामी	सिंचित	0.40	-	0.14	करन पुत्र वंशी जाति आदिवासी
12	9/5	भू-स्वामी	सिंचित	0.40	-	0.06	चैना पुत्र मोहना जाति आदिवासी
13	9/6	भू-स्वामी	असिंचित	0.40	-	0.18	धनुआ पुत्र जालम जाति सेहर
14	9/7	भू-स्वामी	असिंचित	0.40	-	0.32	किशोरी पुत्र लछुआ जाति आदिवासी
15	6/1	भू-स्वामी	सिंचित	0.65	-	0.01	रामकिशन मुशील जितेन्द्र गोपी पुत्र बुद्धा मु.
16	6/2	भू-स्वामी	सिंचित	0.65	-	0.2	मानसिंह पुत्र किशनलाल जाति आदिवासी
17	7/1	भू-स्वामी	सिंचित	0.50	-	0.37	सीताराम पुत्र दुर्जन जाति आदिवासी
कुल किता 32				रकवा	4.25		

स्थान  
दिनांक

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को मुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं उनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपवंशित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या निश्चय है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भी भाग में पड़े कोयला, लौहा पत्थर, स्लेट या अन्य खनियों की खाने हैं, खान और और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निमान वरण के दोरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पी. अनुग्रह, कलेक्टर. एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**  
सिवनी, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. 128-भू-अर्जन.-20—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

#### अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी तहसील/लखनादौन रा.नि.मं./लखनादौन.	भैसनवाही प.ह.न.-99.	11.21	कार्यपालन यंत्री, जल. संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी.	भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध, डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु।	

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 129-भू-अर्जन.-20—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं.	भूमि का विवरण अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी तहसील/लखनादौन	जामुनपानी रा.नि.मं./लखनादौन.	प.ह.न.-100.	11.58	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी.	भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण एवं ढूब क्षेत्र हेतु.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।				

क्र. 130-भू-अर्जन.-20—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि  
की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।  
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा  
(1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा,  
अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है  
कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और  
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये  
प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के  
उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं.	भूमि का विवरण अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी तहसील/लखनादौन	पायली रा.नि.मं./लखनादौन.	प.ह.न.-109.	0.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी.	भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु।
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।				

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 131-भू-अर्जन.-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण	भूमि अर्जन, अधिनियम 2013	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन			
जिला तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी	की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी	की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी तहसील/लखनादौन रा.नि.मं./लखनादौन.	गुर्दरा प.ह.न.-99.	23.90	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी.	भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण एवं ढूब क्षेत्र हेतु.	
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।				

क्र. 132-भू-अर्जन.-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण			भूमि अर्जन, अधिनियम 2013	अर्जित की जाने वाली भूमि	
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी तहसील-लखनादौन	बाम्हनवाड़ा रा.नि.मं.-लखनादौन.	4.83 प.ह.न.-110.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी.	भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.	

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 133-भू-अर्जन.-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण			भूमि अर्जन, अधिनियम 2013	अर्जित की जाने वाली भूमि	
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी तहसील-लखनादौन	सालीवाड़ा रा.नि.मं.-लखनादौन	17.53 प.ह.न.-109	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी.	भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध, डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.	

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

सिवनी, दिनांक 27 जनवरी 2020

**क्र. 628-भू-अर्जन.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—**

### अनुसूची

भूमि का विवरण			भूमि अर्जन, अधिनियम 2013	अर्जित की जाने वाली भूमि	
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी तहसील-छपारा रा.नि.मं.-चमारी खुर्द.	मुन्डरई प.ह.न.-12.	मुन्डरई	15.82	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी	मटामा (मुन्डरई) जलाशय के बांध निर्माण व डूब क्षेत्र हेतु.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग छपारा, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

**क्र. 629-भू-अर्जन.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा**

(1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम 2013	अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सिवनी	तहसील-लखनादौन	विजना	4.80	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी.	मटामा (मुँडरई) जलाशय के पिक-अप वियर बंड, डूब क्षेत्र व बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु,
	रा.नि.म.-लखनादौन.	प.ह.न.-106.			

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 630-भू-अर्जन.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, अधिनियम 2013	अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सिवनी	तहसील-लखनादौन	गनेशगंज	0.45	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी.	मटामा (मुँडरई) जलाशय की गुंगवार मायनर नहर निर्माण हेतु,
	रा.नि.म.-लखनादौन.	प.ह.न.-105.			

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 631-भू-अर्जन.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं.	भूमि का विवरण अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-लखनादौन	गुंगवारा	2.99	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सिवनी जिला सिवनी.	मटामा (मुँडरई) जलाशय की बांधी तट मुख्य नहर एवं गुंगवारा माइनर नहर निर्माण हेतु।
	रा.नि.मं.-लखनादौन.	प.ह.नं.-103.			

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र. 632-भू-अर्जन.-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा

(1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण		भूमि अर्जन, अधिनियम 2013		अर्जित की जाने वाली भूमि	
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/ प.ह.न./ ब. नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	की धारा 12 तहत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी तहसील-छपारा	सुखारैयत	7.58	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1	मटामा (मुँडरई) जलाशय के ढूब सिवनी.	रा.नि.मं.-चमारी खुर्द प.ह.न.-12

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उपसंभाग छपारा, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रबोध सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 27 जनवरी 2020

क्र. 0001-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तरीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलियम सृजित नहीं करेगा। राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के

संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चंद्री सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत खुली नहर निर्माण हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिपोर्ट का संलग्न किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		रक्कम (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
		नगर/ग्राम	सर्वे नं.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अशोकनगर	चंद्री	चकखानपुर	3/1	0.400	परियोजना प्रबंधक ओर नदी	चंद्री सूक्ष्म सिंचाई परियोजना नहर खुली निर्माण कार्य।
			3/2	0.619	परियोजना प्रबंधन इकाई	
			6	0.030	बामौर शिवपुरी।	
			12	0.176		
			15	0.223		
			योग . .	<u>1.448</u>		

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी जिला अशोकनगर (म. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 0002-अ-82-भू-अर्जन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करेगा। अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलियम सुजित नहीं करेगा। राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चंद्री सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत खुली नहर निर्माण हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिपोर्ट का संलग्न किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### एप्रोच चैनल पंप हाउस

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		रक्कम (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
		नगर/ग्राम	सर्वे नं.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अशोकनगर	चंद्री	खानपुर	32	0.116	परियोजना प्रबंधक ओर नदी	चंद्री सूक्ष्म सिंचाई परियोजना खुली नहर निर्माण कार्य।
			10	0.250	परियोजना प्रबंधन इकाई	
			11	0.182	बामौर शिवपुरी।	
			12	0.175		
			13	0.203		
			14	0.225		
			15	0.096		
			16/2	0.294		
			17	0.268		
			18	0.010		
			3/2/1	0.107		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3/2/2	0.107		
			3/2/3	0.107		
			3/2/4	0.107		
			3/3/1	0.071		
			3/3/2	0.071		
			3/3/3	0.071		
			71/2	0.154		
			71/3/1	0.039		
			71/3/2	0.039		
			71/3/3	0.039		
			71/3/4	0.039		
			72/1	0.464		
			72/2/1	0.116		
			72/2/2	0.116		
			72/2/3	0.116		
			72/2/4	0.117		
			112/1	0.007		
			73/1	0.159		
			73/2	0.160		
			73/3	0.160		
			73/4	0.160		
			109	1.264		
			176/2	0.755		
			315/1	0.491		
			315/मिन-2	0.491		
			311	0.697		
			312/2	1.577		
			313	0.474		
			303	0.068		
			310	0.010		
			योग . .	<u>10.172</u>		

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी जिला अशोकनगर (म. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 0003-अ-82-भू-अर्जन-वर्ष 2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई संव्यवहार नहीं करेगा। अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलियम सृजित नहीं करेगा। राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी। शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत खुली नहर निर्माण हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिपोर्ट का संलग्न किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### एप्रोच चैनल पंप हाउस

भूमि का विवरण					धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नं.	रकमा (हे. मे.)	प्राधिकृत	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अशोकनगर	चंदेरी	कुंआरपुर	4	0.501	परियोजना प्रबंधक ओर नदी	चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना
			10/1	0.188	परियोजना प्रबंधन इकाई	खुली नहर निर्माण कार्य
			10/2	0.188	बामौर शिवपुरी।	
			11	0.073		
			12	0.136		
			13	0.045		
			30	0.084		
			38	0.069		
			39	0.070		
			40	0.087		
			41	0.080		
			29	0.195		
			26	0.156		
			50/1,	0.062		
			50/2	0.063		
			60	0.094		
			61	0.038		
			62	0.069		
			63	0.095		
			68	0.005		
			67	0.139		
			73	0.126		
			74	0.100		
			78/1	0.022		
			78/2	0.022		
			78/3	0.022		
			78/4	0.022		
			78/5	0.021		
			81	0.450		
			92/1	0.020		
			92/2	0.030		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			94/1	0.075		
			144	0.092		
			145/1	0.003		
			145/2	0.002		
			146/1	0.034		
			146/2	0.033		
			147/1	0.024		
			147/2	0.024		
			147/3	0.023		
			149	0.016		
			150	0.104		
			151	0.078		
			152	0.038		
			153/1	0.004		
			153/2	0.002		
			153/3	0.002		
			154	0.091		
			155	0.052		
			187/1	0.005		
			187/2	0.005		
			188	0.020		
			189	0.036		
			196	0.043		
			194	0.008		
			190	0.054		
			191/1	0.031		
			191/2	0.063		
			192	0.005		
			193	0.146		
			211/1	0.007		
			211/2	0.007		
			212	0.042		
			213	0.073		
			214	0.094		
			215	0.105		
			251	0.090		
			250/1	0.037		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			250/2	0.037		
			253	0.042		
			246	0.070		
			245	0.040		
			275	0.115		
			274	0.008		
			276	0.245		
			282	0.057		
			283/1	0.040		
			283/2	0.040		
			279	0.087		
			278	0.264		
			307/1	0.003		
			307/2	0.003		
			307/3	0.003		
			308	0.063		
			309	0.084		
			310/1	0.104		
			310/2	0.105		
			311	0.094		
			330	0.340		
			329	0.491		
			325	0.031		
			313	0.483		
			322	0.050		
			323	0.105		
			327	1.045		
			659	0.511		
			666	0.230		
		योग . .		<u>9.705</u>		

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी जिला अशोकनगर (म. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 0004-अ-82-वर्ष 2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई संव्यवहार नहीं करेगा। अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलियम सृजित नहीं करेगा। राज्य इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी। शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत खुली नहर निर्माण हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिपोर्ट का संलग्न किया जा रहा है:—

### अनुसूची

#### एपोच चैनल पंप हाउस

भूमि का विवरण					धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नं.	रकबा (हे. मे.)	प्राधिकृत	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अशोकनगर	चन्देरी	मुरादपुर	496	0.196	परियोजना प्रबंधक ओर नदी	चन्देरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना
			494	0.455	परियोजना प्रबंधन इकाई	खुली नहर निर्माण कार्य
			493	0.083	बामौर शिवपुरी।	
			495	0.138		
		योग . .		<u>0.872</u>		

टीप.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी जिला अशोकनगर (म. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मंजू शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व  
विभाग**

डिण्डौरी, दिनांक 14 जनवरी 2020

**क्र. भू-अर्जन-01(अ-82)2018-19-11.**—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस खरगहना जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—बजाग
- (ग) ग्राम—खरगहना जलाशय योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण।
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.430 हे., प.ह.नं. 161, रा.नि.मं., गाडासरई।

खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रक्कम (हे. में)
(1)	(2)
1015/1	0.270
856	0.160
योग . .	<u>0.430</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—खरगहना जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

सिवनी, दिनांक 21 जनवरी 2020

**क्र. 505-भू.अर्जन-2019.**—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। तिलबारा बार्या तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—लखनादौन
- (ग) नगरपाली—मलखेड़ा, प.ह.नं. 89, ग.नि.मं.—लखनादौन
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—3.11 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

### निजी भूमि का रक्कम

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रक्कम (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
47/1	0.23
90/7	2.88
	<u>योग . . 3.11</u>

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—मुंडा जलाशय के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 फरवरी 2020

पत्र क्र. 87-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराज नगर
- (ग) ग्राम—फुटौंधा
- (घ) क्षेत्रफल—1.106 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा (हे. में)		
	नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)	
443/592/1/क	0.012	—	
451/1	0.094	—	
452/1	0.002	—	
452/2	0.016	—	
481	0.029	—	
487/1/क/1	0.022	—	
487/1/ख	0.236	—	
497/1/क/1	0.131	—	
556/1	0.322	—	
556/10/1/क	0.242	—	
कुल योग . .	1.106	0.000	
महायोग . .		1.106	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 89-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराज नगर
- (ग) ग्राम—पोइंधा कला
- (घ) क्षेत्रफल—0.624 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा (हे. में)		
	नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)	
178/2	0.057	—	
262/3	0.200	—	
263	0.030	—	
268/1/3	0.120	—	
299/2/2	0.081	—	
303/314/2	0.106	—	
305/2	0.030	—	
कुल योग . .	0.624	0.000	
महायोग . .		0.624	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 91-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराज नगर

(ग) ग्राम—निरंजनपुर	(1)	(2)	(3)
(घ) क्षेत्रफल—0.277 हेक्टेयर.	211	-	0.049
<b>खसरा अर्जित रकबा (हे. में)</b>			
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि	
(1)	(2)	(3)	
18/78	0.202	-	
32	0.075	-	
कुल योग . .	0.277	0.000	
महायोग . .	0.277		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।	244	0.288	-
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू—अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।	246	0.019	-
	247	0.242	-
	252	0.019	-
	253	0.394	-
	कुल योग . .	2.108	0.183
	महायोग . .	2.291	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू—अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 93—भू—अर्जन—प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—बिरसिंहपुर
- (ग) ग्राम—पटना खुर्द
- (घ) क्षेत्रफल—2.291 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा (हे. में)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
171	-	0.077
173	-	0.057
183	0.211	-
184	0.110	-
185	0.138	-
201	0.269	-
203	0.130	-
209	0.283	-
210	0.005	-

खसरा	अर्जित रकबा (हे. में)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
376/1/1/क	0.126	-
कुल योग . .	0.126	0.000
महायोग . .		0.126

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू—अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 97-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराज नगर
- (ग) ग्राम—पासी
- (घ) क्षेत्रफल—0.393 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा (हे. में)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
18	0.017	—
40	0.019	—
41	0.149	—
199	0.025	—
202	0.029	—
331	0.016	—
365	0.050	—
366	0.010	—
425	0.076	—
429	—	0.002
कुल योग . .	0.391	0.002
महायोग . .	0.393	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 99-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराज नगर
- (ग) ग्राम—भरजुना कला
- (घ) क्षेत्रफल—0.481 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा (हे. में)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
414/3	0.112	—
461/1/क	0.200	—
800/2	0.080	—
869/1/1	0.089	—
कुल योग . .	0.481	0.000
महायोग . .		0.481

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 101-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराज नगर
- (ग) ग्राम—बराज
- (घ) क्षेत्रफल—0.171 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा (हे. में)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
103	0.008	—
107	0.038	—
140	0.060	—
235	0.055	—

(1)	(2)	(3)
244	0.010	-
कुल योग . .	0.171	0.000
महायोग . .	0.171	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 103-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु। आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराज नगर
- (ग) ग्राम—खम्हरिया
- (घ) क्षेत्रफल—0.186 हेक्टेयर।

खसरा	अर्जित रकबा (हे. में)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
526	0.076	-
656	0.120	-
कुल योग . .	0.196	0.000
महायोग . .	0.196	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 105-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराज नगर
- (ग) ग्राम—खम्हरिया
- (घ) क्षेत्रफल—0.186 हेक्टेयर।

खसरा	अर्जित रकबा (हे. में)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
362	0.026	-
366	0.160	-
कुल योग . .	0.186	0.000
महायोग . .	0.186	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 107-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रघुराज नगर
- (ग) ग्राम—मझगवां
- (घ) क्षेत्रफल—0.213 हेक्टेयर।

खसरा	अर्जित रकबा (हे. में)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
50/2	0.213	-
कुल योग . .	0.213	0.000
महायोग . .	0.213	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “मझगवां शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 109-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	लिलौरी	2.500	कार्यपालन यंत्री, पवका बॉथ संभाग, क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 111-भू-अर्जन-प्रकाशन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बरा	5.500	कार्यपालन यंत्री, पवका बॉथ संभाग, क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्रमांक 60-भू-अर्जन-2019

रीवा, दिनांक 12 फरवरी 2020

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (6) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्नासन और पुनर्निवासन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा-(1) के उपबंधों के अनुसार कराई गई थी, कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 23.04.19 से 23.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, संभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

## अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकवा है.		
1	2	3	4	5	6	7
रीवा	हनुमना	खेरा नं० ३	59	0.010	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा	बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु
			62	0.038		
			102	0.010		
			64	0.018		
			58	0.011		
			85	0.006		
			63	0.014		
			218 / 2	0.012		
			223	0.062		
			91	0.040		
			92 / 1, 92 / 2, 92 / 3, 92 / 4	0.084		
			93	0.108		
			96 / 1, 96 / 2	0.036		
			202	0.053		
			97	0.024		
			201	0.048		
			208	0.053		
			218 / 1	0.089		
			304	0.020		
			303	0.038		
			309	0.080		
			440 / 1	0.052		
			440 / 2			
			442	0.021		
			441	0.054		
			435 / 1, 435 / 2, 435 / 3	0.190		
			312	0.052		
			313 / 1 / क		0.056	
			313 / 1 ख			
			313 / 1 ग			
			313 / 1 / घ / 1			
			313 / 1 / घ / 2			
			313 / 1 / झ			
			313 / 2			
			432 / 1	0.022		
			432 / 2			
			433	0.032		
			434	0.010		

रीवा	हनुमना	खेरा नं० 3	209/1	0.024	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा	बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु
			225	0.010		
			272/1	0.082		
			272/2			
			272/3			
			294/1	0.037		
			294/2			
			295	0.018		
			296	0.051		
			719/1	0.008		
			719/2			
			719/3			
			719/4			
			कुलयोग	1.592		

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

### पत्र क्रमांक 61-भू-अर्जन-2019

बैंक के राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा-(1) के उपबंधों के अनुसार कराई गई थी, किंतु प्रयोजन कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत खसरा नं० 134 दिनांक 05.07.19 से 05.07.2020 एवं शेष खसरों का दिनांक 19.04.19 से 19.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, संभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकवा है		
1	2	3	4	5	6	7
रीवा	हनुमना	रहना	134/1	0.128	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा	बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु
			134/2	0.022		
			250	0.064		
			135	0.016		
			136	0.017		
			138	0.032		
			140/2	0.016		
			246	0.070		
			247	0.030		
			239	0.030		
			233	0.026		
			224	0.026		
			221	0.027		
			218	0.024		
			219	0.008		
			कुल योग	0.536		

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

## पत्र क्रमांक 62-भू-अर्जन-2019

चैकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्ववस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा-(1) के उपबंधों के अनुसार कराई गई थी, किंतु प्रयोजनों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.04.19 से 19.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

## अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकवा टे.		
1	2	3	4	5	6	7
रीवा	हनुमना	चन्देह	187	0.323	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर सभाग रीवा	बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु
			194	0.010		
			184	0.045		
			129	0.024		
			130	0.024		
			199	0.007		
			200	0.129		
			201	0.049		
			202	0.036		
			203	0.048		
			204	0.396		
			299	0.004		
			320	0.071		
			300	0.094		
			319	0.035		
			306	0.018		
			310	0.065		
			307	0.016		
			308	0.125		
			340	0.008		
			194	0.008		
			41	0.038		
			47	0.082		
			48	0.038		
			34	0.080		
			33	0.026		
			29	0.168		
			32	0.004		
			28	0.114		
			27	0.080		
			26	0.038		
			25	0.090		
			103	0.007		
			35	0.004		
			कुलयोग	2.304		

- भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

## पत्र क्रमांक 63-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रातिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपाधा-(1) के उपबंधों के अनुसार कराई गई थी, कलिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 09.02.19 से 09.02.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

## अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकमा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
रीवा	हनुमना	पटेहरा	1723	0.072	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा	बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु
			1725	0.002		
			1726	0.023		
			1728	0.018		
			1701	0.064		
			254	0.012		
			343	0.002		
			394	0.034		
			396	0.072		
			397	0.072		
			459	0.054		
			458	0.024		
			456	0.091		
			455	0.058		
			440	0.132		
			444	0.017		
			445	0.044		
			420	0.048		
			484	0.024		
			245	0.028		
			1623	0.018		
			1627	0.054		
			1628	0.024		
			1629	0.024		
			1696	0.079		
			1316	0.082		
			1318	0.059		
			1321	0.033		
			1323	0.018		
			1324	0.016		
			1327	0.122	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा	बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु
			1351	0.062		
			1352	0.052		
			253	0.059		
			255	0.011		
			256	0.014		
			257	0.012		
			273	0.030		
			295	0.013		
			296	0.008		
			297	0.014		
			298	0.034		
			299	0.004		
			300	0.071		
			316	0.018		
			317	0.004		
			319	0.039		
			320	0.044		
			346	0.014		
			353	0.008		
			3183	0.006		
			2309 / 1	0.016		
			3210 / 2	0.004		
			2499	0.020		
			कुल योग	1.348		

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेजटर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

## पत्र क्रमांक 64-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा-(1) के उपबंधों के अनुसार कराई गई थी, किंतु पर्याप्त कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 18.04.19 से 18.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, संभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकवा है.		
1	2	3	4	5	6	7
रीवा	हनुमना	बहुती	20/1	0.060	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा	बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु
			51	0.090		
			50	0.028		
			49	0.022		
			39	0.027		
			37	0.018		
			36	0.028		
			54	0.032		
			61	0.086		
			286	0.056		
			281	0.012		
			160	0.064		
			280	0.018		
			161	0.002		
			162	0.030		
			166	0.005		
			170/2	0.012		
			171/3	0.092		
			270	0.084		
			360	0.078		
			361	0.047		
			355	0.011		
			366	0.025		
			354	0.018		
			353	0.013		
			351	0.008		
			348	0.016		
			346	0.008		
			492	0.004		
			494	0.007		
			495	0.011		
			488	0.029		
			496	0.007		
			503	0.003		
			504	0.009		
			501	0.074		
			499/3	0.003		
			511	0.041		
			512	0.013		
			514	0.020		
			426	0.004		
			कुलयोग	1.215		

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

## पत्र क्रमांक 65-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्ववासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा-(1) के उपबंधों के अनुसार कराई गई थी, किंतु प्रयोग कारणों से निवारित अवधि से भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.04.19 से 19.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सांसी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

## अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकवा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
रीवा	हनुमना	खजुरहन	3 / 3	0.004	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा	बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु
			9	0.064		
			10	0.134		
			68	0.174		
			74	0.017		
			75	0.034		
			76	0.013		
			77	0.032		
			79 / 1ख	0.013		
			61	0.018		
			83	0.020		
			85	0.010		
			57	0.352		
			93	0.048		
			154	0.115		
			158	0.017		
			159	0.020		
			163	0.004		
			168	0.112		
			166	0.048		
			174	0.014		
			180	0.012		
			181	0.068		
			178	0.078		
			179 / 1	0.110		
			182 / 1	0.114		
			117	0.125		
			113 / 1	0.048		
			114	0.056		
			198	0.066		
			196	0.040		
			197	0.004		
			210	0.045		
			211	0.064		
			216	0.020		
			220	0.062		
			221	0.003		
			218	0.084		
			योग	2.262		
			शास. 16 / 1	0.021		
			कुलयोग	2.283		

1. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

### पत्र क्रमांक 66-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा-(1) के उपबंधों के अनुसार कराई गई थी, किंतु प्रयोजन कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.04.19 से 19.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकवा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
रीवा	हनुमना	दुअरा	351	0.038	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा	बमरहा नहर योजना के निमाण हेतु
			350	0.060		
			349	0.042		
			348/2	0.020		
			348/1	0.022		
			347	0.030		
			311	0.020		
			310	0.082		
			309	0.022		
			153/1	0.024		
			153/2	0.004		
			158	0.074		
			159	0.020		
			359/1	0.066		
			360	0.024		
			361/1	0.038		
			361/2	0.018		
			362	0.004		
			363	0.028		
			377	0.036		
			378	0.036		
			146	0.008		
			कुल योग	0.716		

- भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

## पत्र क्रमांक 67-भू-अर्जन-2019

चैंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्ववासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा-(1) के उपबंधों के अनुसार कराई गई थी, किंतु कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.04.19 से 19.04.20 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

## अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा-12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकवा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
रीवा	हनुमना	टडहर	151	0.004	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा	बमरहा नहर योजना के निर्माण हेतु
			136	0.020		
			150	0.012		
			139	0.022		
			137	0.010		
			144	0.015		
			127	0.012		
			124	0.004		
			91	0.055		
			94	0.010		
			93	0.016		
			101	0.041		
			184	0.034		
			कुल योग	0.255		

- भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत कुर्च, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.